

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015

Bihar Combined Entrance Competitive Exam.-2015

(B. C. E. C. E. – 2015)

विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र : 2015-2016



बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

(बिहार सरकार)

ऑन लाईन भरे हुए आवेदन पत्र की 'हार्ड' कॉपी पर्षद
कार्यालय में प्राप्ति की अन्तिम तिथि : 10.03.2015
परीक्षा की तिथि - प्रथम चरण : 19.04.2015
द्वितीय चरण : 17.05.2015

BCECE-2015 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्रम संख्या</u>	<u>विवरण</u>	<u>कॉडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	परिचय ।	1	3
2.	संस्थान एवं शाखा परिवर्तन ।	2	3
3.	विभिन्न संस्थानों की पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें ।	3	3
4.	परीक्षा के विषय एवं अवधि ।	4	3
5.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	5	5
6.	शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हतायें ।	6	6
7.	आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क ।	7	7
8.	आवेदन प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश।	8	8
9.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश ।	9	11
10.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त ।	10	13
11.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	11	13
12.	मार्गदर्शक पाठ्यक्रम ।	12	14
13.	अभियंत्रण - फार्मेसी धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योगताएँ ।	13	14
14.	चिकित्सा धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योगताएँ ।	14	15
15.	कृषि धारा में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योगताएँ ।	15	16
16.	प्राइवेट पायलट लाइसेन्स पाठ्यक्रम हेतु सूचनाएँ एवं योगतायें।	16	18
17.	विभिन्न सारणियाँ ।	सारणी-1 से सारणी-4	
18.	परिशिष्ट-1 (मार्गदर्शक पाठ्यक्रम)		25-33
19.	परिशिष्ट-2 (विकलांगता से सम्बन्धित)		34-35
20.	परिशिष्ट-2(iv) सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) से सम्बन्धित विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का संकल्प।		36
21.	परिशिष्ट-3 (OMR से सम्बन्धित)		37-40
22.	परिशिष्ट-4 अभियंत्रण धारा के पाठ्यक्रमों हेतु AICTE द्वारा निर्धारित कार्यक्रम।		41

LIST OF ENCLOSURES (CHECK LIST)

अनुलग्नकों की सूची (जाँच सूची)

Sl.N. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from Where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	<p>(i) Marks Sheet and Admit Card of I.Sc. or equivalent examination (only Admit Card in the case of candidates appearing in qualifying examination.) आई.एस.सी. या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र (Admit Card) (अगर अभ्यर्थी अर्हक (Qualifying) परीक्षा में सिर्फ सम्मिलित हुआ हो, तो केवल प्रवेश पत्र।)</p> <p>(*ii) In case of appearing candidates in the qualifying Examination, a certificate clearly mentioning the subjects and stating that the result of such examination has not been published. अर्हक (Qualifying) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के विषयों का उल्लेख करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र कि अर्हक परीक्षा का परीक्षाफल अभी प्रकाशित नहीं हुआ है ।</p>	<p>Relevant University / Council / Board or its equivalent सम्बन्धित विश्वविद्यालय / परिषद् / पर्षद या समकक्ष ।</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य ।</p>
2.	Matric/ equivalent certificate and Admit Card as proof of age and Identity मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो ।	Board / Equivalent. बोर्ड / समकक्ष ।
3.	*Caste certificate *जाति प्रमाण पत्र	Concerned C.O. countersigned by DM / SDO (Civil) of permanent residence . स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
4.	Character certificate चरित्र प्रमाण पत्र	Head of the Institution last attended. जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य ।
5.	*Income certificate (If needed, to be submitted at the time of Counselling) *आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार काउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है ।)	Concerned C.O. countersigned by DM / SDO (Civil) of permanent residence . स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
6.	Application Form (Part-A) आवेदन-पत्र (पार्ट-A)	Duly filled in by the candidate and photo pasted on specified place on it. अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ एवं निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ ।
7.	Photograph (As per para 8.2 of the prospectus) फोटोग्राफ [विवरण पुस्तिका की कंडिका 8.2 के अनुसार]	Self attested by the candidate. अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित ।
8.	* Certificate for native of Bihar बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र	Concerned C.O. countersigned by DM / SDO (Civil) of permanent residence . स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।

* **NOTE : To be furnished, wherever applicable.**

Sl.N. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from Where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
	<p>*(iii) Refugee Registration certificate शरणार्थी निबन्धन प्रमाण पत्र</p> <p>*(iv) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी (Employee) हैं ।</p> <p>*(v) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of the Govt. of India and posted in Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता भारत सरकार के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में कार्यरत हैं ।</p> <p>*(vi) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाईटेड नेशन्स ऑर्गनाइजेशन के कर्मी (Employee) हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं ।</p> <p>*(vii) Such candidates who have not studied in Bihar but claim eligibility on ground of permanent/ 10 years or more of continuous residence in Bihar in respect of their parents, must also furnish a certificate from the Institution where he/ she is studying for the qualifying examination indicating the permanent address as recorded in the Admission Register of that Institution. वे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो किन्तु जिनके माता / पिता बिहार में स्थायी / लगातार दस वर्ष या उससे अधिक समय तक रहने के कारण अपनी पात्रता (Eligibility) का दावा करते हों, अर्हक (Qualifying) परीक्षा में जिस संस्थान से सम्मिलित हो रहे हों उसके नामांकन रजिस्टर में उनका जो स्थायी पता दर्ज हो, उसके उल्लेख के साथ एतद् सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी दें ।</p> <p>*(viii) Certificate for Servicemen's Quota (SMQ), clearly mentioning the relationship of the candidate. सर्विस मैन कोटा (SMQ) प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है ।</p> <p>*(ix) Certificate for Disabled Quota (DQ) विकलांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र ।</p>	<p>Concerned DM (or ADM authorised by the DM) / Refugee Registration Officer सम्बन्धित जिला पदाधिकारी (अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत ए.डी.एम.) / शरणार्थी निबन्धन पदाधिकारी ।</p> <p>Employer Concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।</p> <p>Employer Concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।</p> <p>Employer Concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।</p> <p>Principal of the Institution concerned. सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य ।</p> <p>As per para 5.8 of this prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-5.8 के अनुसार ।</p> <p>As per Para 5.7 of this prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-5.7 के अनुसार ।</p>

* NOTE : To be furnished, wherever applicable.

बिहार सरकार
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015
विवरण पुस्तिका

परिचय :

व्यावसायिक स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों, यथा अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मसी, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, डेयरी तथा समान प्रकृति के अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु तथा राज्य एवं राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में प्रवेश के लिए जहाँ राज्य सरकार के मनोनयन की अपेक्षा हो, वहाँ ऐसे मनोनयन हेतु चयन, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015 (Bihar Combined Entrance Competitive Exam.-2015) के परीक्षाफल से तैयार की गई मेधा सूची से योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर होगा, जिसका संचालन बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

- (i) यह विवरण पुस्तिका “बी.सी.ई.सी.ई.-2015 की विवरण पुस्तिका” के नाम से जानी जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरन्त लागू होगी।

1.1 परिभाषायें :

- (i) “पाठ्यक्रम” से अभिप्राय है स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
- (ii) “परीक्षा” से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा।
- (iii) “पर्षद” से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (iv) “सरकार” से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- (v) “परीक्षा नियंत्रक” से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
- (vi) “बिहार” से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।
- (vii) **इंजीनियरिंग-फार्मसी धारा से अभिप्राय :**

इंजीनियरिंग / आर्किटेक्चर / फार्मसी / समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शिक्षण संस्थानों की सूची-सारणी-1): केवल बिहार कोटा।

एवं

बिहार राज्य के बाहर अन्य तकनीकी/ व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रम केवल बिहार कोटा।

(viii) चिकित्सा धारा से अभिप्राय :

वर्ष 2013 में अखिल भारतीय स्तर पर NEET(UG)-2013 के आयोजन के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1/प.नि.-05/2013-969(I) दिनांक 16.12.2013 के आलोक में बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों/ दन्त महाविद्यालयों सहित फिजियोथेरेपी, आकुपेशनल थेरेपी महाविद्यालय/ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों/ राजकीय होमियोपैथी कॉलेज/ राजकीय तिब्बी कॉलेज के पाठ्यक्रम तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शिक्षण संस्थानों की सूची- सारणी-2)।

(ix) कृषि धारा से अभिप्राय :

बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि/ पशु चिकित्सा/ गव्य तकनीकी (डेयरी) / कृषि अभियंत्रण/ मत्स्य विज्ञान/ उद्यान / बायोटेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शिक्षण संस्थानों की सूची- सारणी-3)

2. संस्थान एवं शाखा परिवर्तन :

संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं शाखा परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपतियों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों

द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्यटन के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। परन्तु द्वितीय वर्ष में संस्थान एवं शाखा परिवर्तन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देश के आलोक में अभियंत्रण संस्थानों में किया जा सकेगा।

3. विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न धाराओं के संस्थानों, उसके पाठ्यक्रमों तथा उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण सारणी 1 से 4 में दिया गया है। बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों/ शाखाओं/ विषयों की शिक्षा, सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी।

4. परीक्षा के विषय एवं अवधि :

4.1 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा दो चरणों में सम्पन्न की जायेगी। सभी आवेदक, जिन्हें पात्रता प्राप्त होगी, प्रथम चरण में अर्हक प्रश्न-पत्र (Qualifying paper) में परीक्षा देंगे। जो आवेदक प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त करेंगे केवल उन्हें ही द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रश्न पत्र सामान्यतः इन्टरमीडिएट (I.Sc. / +2 / समकक्ष) स्तर के होंगे (देखें कडिका-9.5 तथा 12)।

प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की परीक्षाओं में प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जायेंगे और उनके नीचे उनका हिन्दी अनुवाद होगा। प्रथम चरण और द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ (objective) होंगे।

4.2 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015: (प्रथम चरण):

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015 (प्रथम चरण) का प्रश्नपत्र तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी -

परीक्षा की तिथि : 19.04.2015

विषय	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	समय
अर्हक प्रश्न-पत्र (Qualifying paper)	600	2 घंटे 15 मिनट	11.00 पूर्वाह्न से 1.15 अपराह्न

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण में केवल अर्हक प्रश्न-पत्र (Qualifying paper) में परीक्षा देनी होगी। यह प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (Objective) तथा सवा दो घंटे की अवधि की होगी। इसमें कुल चार खंड होंगे यथा (1) भौतिक विज्ञान (2) रसायन विज्ञान (3) गणित (4) जीव विज्ञान। प्रत्येक खंड में चार-चार अंक के 50 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जायेगी।

4.2.1 जो आवेदक इस विवरण पुस्तिका की कडिका 13.8 (क) में वर्णित शैक्षणिक अर्हता हेतु वांछित विषयों में I.Sc. या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों या चालू सत्र में सम्मिलित हो रहे हों तथा जो द्वितीय चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों उन्हें पी०सी०एम० (PCM) ग्रुप कहा जायेगा और उनको प्रथम चरण परीक्षा में भौतिक विज्ञान खंड, रसायन विज्ञान खंड तथा गणित खंड के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा।

4.2.2 जो आवेदक इस विवरण पुस्तिका की कडिका 14.4(क) में वर्णित शैक्षणिक अर्हता हेतु वांछित विषयों में I.Sc. या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों या चालू सत्र में सम्मिलित हो रहे हों तथा जो द्वितीय चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों, उनको पी०सी०बी० (PCB) ग्रुप कहा जायेगा और प्रथम चरण की परीक्षा में उनको भौतिक विज्ञान खंड, रसायन विज्ञान खंड तथा जीव विज्ञान खंड के प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

4.2.3 जो आवेदक इस विवरण पुस्तिका की उपरोक्त कडिका 4.2.1 एवं 4.2.2 में से प्रत्येक में वर्णित शैक्षणिक अर्हता हेतु वांछित विषयों में I.Sc. या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों या चालू सत्र में सम्मिलित हो रहे हों तथा जो द्वितीय चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा जीव विज्ञान विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों उन्हें पी०सी०एम०बी० (PCMB) ग्रुप कहा जायेगा तथा उनको प्रथम चरण परीक्षा में भौतिक विज्ञान खंड एवं रसायन विज्ञान खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें गणित खंड और जीव विज्ञान खंड में से किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर, विकल्पानुसार देना होगा। तदनुसार पी०सी०एम०बी० ग्रुप के जो आवेदक प्रथम चरण में अर्हक प्रश्न पत्र के भौतिक विज्ञान खंड, रसायन विज्ञान खंड एवं गणित खंड के प्रश्नों के उत्तर देगे वे प्रथम चरण की प्रक्रिया हेतु पी०सी०एम० ग्रुप में समाहित समझे जायेंगे। इसी प्रकार पी०सी०एम०बी० ग्रुप के जो आवेदक प्रथम चरण में अर्हक प्रश्न पत्र के भौतिक विज्ञान खंड, रसायन विज्ञान खंड एवं जीव विज्ञान खंड के उत्तर देंगे वे प्रथम चरण की प्रक्रिया हेतु पी०सी०बी० ग्रुप में समाहित समझे जायेंगे। पी०सी०एम०बी० ग्रुप के आवेदकों को पी०सी०एम०/ पी०सी०बी० ग्रुप के आवेदकों से अधिक परीक्षा शुल्क देना होगा।

4.2.4 अर्हक प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर विषय ग्रुप यथा पी०सी०एम०/ पी०सी०बी० के लिये कोटिवार एक लब्धांक अर्हता सीमा निधरित की जायेगी जिसमें सम्बन्धित विषय ग्रुप के लिए उपलब्ध कुल सीटों के लगभग 4 गुणा आवेदकों को अर्हक (Qualified) माना जायेगा

और केवल उनको ही द्वितीय चरण की परीक्षा में बैठने की अर्हता प्राप्त होगी। जो आवेदक उपर्युक्त के अनुसार अर्हता प्राप्त नहीं कर पायेंगे उनको द्वितीय चरण की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.3 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : (द्वितीय चरण)

4.3.1 संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के विषय तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

परीक्षा की तिथि : 17.05.2015

क्रम	विषय	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि एवं समय
(i)	भौतिक विज्ञान	400	1 ½ घंटे (9.00 पूर्वा. से 10.30 पूर्वा.)
(ii)	रसायन विज्ञान	400	1 ½ घंटे (11.00 पूर्वा. से 12.30 अप.)
(iii)	गणित	400	1 ½ घंटे (2.00 अप. से 3.30 अप.)
(iv)	जीव विज्ञान	400	1 ½ घंटे (4.00 अप से 5.30 अप.)

उपरोक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं जीव विज्ञान में से प्रत्येक विषय में चार-चार अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जायेगी।

4.3.2 पी०सी०एम० विषय ग्रुप के जो आवेदक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के प्रथम चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर द्वितीय चरण के लिये अर्हता प्राप्त करेंगे वे द्वितीय चरण की परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों में देंगे। इसी प्रकार पी०सी०बी० विषय ग्रुप के जो आवेदक प्रथम चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर द्वितीय चरण के लिये अर्हता प्राप्त करेंगे वे द्वितीय चरण की परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में देंगे।

पी०सी०एम०बी० ग्रुप के जो आवेदक प्रथम चरण की परीक्षा में पी०सी०एम० अथवा पी०सी०बी० ग्रुप के प्राप्तांकों के आधार पर द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, वे द्वितीय चरण की परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा जीव विज्ञान विषयों में देंगे।

4.3.3 भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित में प्राप्तांकों के योग के आधार पर PCM ग्रुप के लिए एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्तांकों के योग के आधार पर PCB ग्रुप के लिए अलग-अलग मेधा सूचियाँ बनाई जाएँगी।

(क) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में प्राप्तांकों के योग पर आधारित मेधा सूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों को भरा जायेगा : इंजीनियरिंग/ आर्किटेक्चर/ कृषि अभियंत्रण/ डेयरी टेक्नॉलॉजी।

(ख) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्तांकों के योग पर आधारित मेधा सूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर स्थानों को भरा जाएगा : चिकित्सा विज्ञान / दंत चिकित्सा/ पशु चिकित्सा/ मत्स्य विज्ञान/ आयुर्वेदिक/ होमियोपैथी/ यूनानी (तिब्बी)/ फिजियोथेरेपी एवं आकुपेशनल थेरेपी।

(ग) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान या गणित में प्राप्तांकों के योग पर आधारित संयुक्त मेधा सूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर स्थानों को भरा जायेगा :

कृषि / उद्यान / बायोटेक्नोलॉजी / फार्मसी।

5. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

5.1 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन निमित्त बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र ऑन लाईन submit करने की तिथि तक निर्धारित / लागू किये गये आरक्षण सम्बन्धी नियमों/ नीतियों का पालन किया जायेगा।

5.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ करने की तिथि को लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
i.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
ii.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
iii.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
iv.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %
v.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3 %

शेष 50 % अनारक्षित सीटें सामान्य (खुली गुणागुण) कोटि (General Category : GEN) की समझी जायेंगी।

5.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णोक्त सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

5.4 आवेदन प्रपत्र ऑन लाईन submit करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।

5.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-1/कोर्ट-64/2014-01 (कैम्प-SHS) दिनांक 28.09.2014 के आलोक में उपरोक्त चयन विकल्प के कारण सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की जो सीट रिक्त होगी उसे सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा-सूची के अनुसार मेधा-सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा।

(iii) उपरोक्त सम्बन्ध में बिहार सरकार अगर जी.वी.नूतन द्वारा दायर एल.पी.ए.संख्या-385/2014 में दिनांक 06.05.2014 में पारित आदेश के आलोक में अथवा इसी सन्दर्भ में अन्य कोई सुविचारित संशोधन जारी करेगी तो उसे लागू किया जायेगा।

5.6 बिहार राज्य के बाहर के तकनीकी संस्थानों (अभियंत्रण धारा) में बिहार कोटा के विरुद्ध आरक्षित कोटियों के लिये यदि कुछ सीट / सीटें आरक्षित होंगी तो उनका विवरण नामांकन हेतु साक्षात्कार के समय दिया जायगा।

5.7 विकलांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें:

5.7.1 विकलांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की तीन प्रतिशत सीटें विकलांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ करने की तिथि तक, जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, विकलांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

5.7.2 विकलांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी / बोर्ड द्वारा विकलांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करें। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फूल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में विकलांगता की कोटि, विकलांगता का प्रतिशत, विकलांगता के स्थायी होने अथवा विकलांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

5.7.3 विकलांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर विकलांग आवेदक उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित विकलांगता के अनुरूप उनकी विकलांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा [(देखें परिशिष्ट-2(I), 2(II) एवं 2(III))।

5.8 सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota, i.e., SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

5.8.1 बिहार राज्य निवासी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/अविवाहित पुत्रियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित (Service Men's Quota) हैं, जिनका विवरण साक्षात्कार के समय दिया जायेगा।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 1647 दिनांक 08.06.2010 के अनुसार नामांकन हेतु सीट आवंटन किया जायेगा। देखें परिशिष्ट-2 (IV)।

5.8.2 इन SMQ सीटों पर नामांकन बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को दी जायेगी।

इन SMQ की सीटों के लिए योग्य पाये गये आवेदकों द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा- 2015 में प्राप्तियों के आधार पर निधिरित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जायेगा। उपर्युक्त कोटि के छात्रों के अभाव में सीटें खाली रहेंगी।

इन SMQ की आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ही निम्नांकित प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा उनके लिए SMQ संवर्ग के अन्तर्गत नामांकन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी हालत में बाद में प्रस्तुत SMQ संबंधित प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- **सेवारत/ भूतपूर्व/ सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी के पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आदेशात्मक (mandatory) है।**
 - I. कार्यरत सैनिक कर्मचारी के मामलों में, उनके सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, उनके नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत।
 - II. भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, उनके सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत।

5.8.3 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

- (i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.
- (ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".
- (iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :
 - (a) Pension Holders of the continuous embodied service.
 - (b) Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
 - (c) Family Pension Holders.
 - (d) Gallantry Award Winners.

6. शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएँ तथा सूचना :

6.1 विभिन्न पाठ्यक्रमों/ संस्थानों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएँ निर्धारित हैं। आवेदकों की सुविधा हेतु इस विवरण पुस्तिका में इनका उल्लेख निम्नांकित प्रकार हैं :

- (क) अभियंत्रण-फार्मैसी धारा के लिए कंडिका-13 देखें।
- (ख) चिकित्सा धारा के लिए कंडिका 14 देखें।
- (ग) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के पाठ्यक्रमों के लिए कंडिका 15 देखें।
- (घ) प्राइवेट पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम (Private Pilot License Course [PPL]) पाठ्यक्रम के लिए कंडिका 16 देखें।

6.2 आवेदक कृपया उपर्युक्त सूचनाओं का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लेंगे।

7. आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क :

7.1 आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क : बी.सी.ई.सी.ई.-2015 में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पर्षद के उपरोक्त Website : (i) www.bceceboard.com (ii) www.bcecebonline.com से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। "Online Application Form for BCECE-2015" Click करें उसके बाद "Apply for BCECE-2015" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश (Instruction) दिखेगा, जिसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

- (i) **Step - One (Registration) :** Registration (निबन्धन) के लिए सारी सूचनायें (Informations) Step-1 के अन्तर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन-प्रपत्र को सही-सही अभ्यर्थी को भरना होगा। उसके उपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर / रजिस्टर्ड email-ID पर अभ्यर्थी को Successful Registration का एक Message भेजा जायेगा जिसमें

उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा। अभ्यर्थी अपने प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा अपने द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये Password किसी को नहीं बतलाये अन्यथा बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड किसी भी तरह के परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उपरोक्त विधि से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं स्वयं द्वारा दिये गये Password को भविष्य में प्रयोग / जरूरत के लिए अभ्यर्थी निश्चित रूप से सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर जो उपरोक्त विधि से प्राप्त हुआ है वही उनका User name होगा।

(ii) **Step - Two (Examination Fee)** : जिन अभ्यर्थियों ने उपर वर्णित Step One की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया है वे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं Password द्वारा अपने एकाउन्ट में Login करने एवं Sign In का बटन Click करें। सफलता पूर्वक Login करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा शुल्क जमा करने की निर्मांकित दो प्रक्रियाएँ हैं :-

(a) **बैंक चालान के माध्यम से भुगतान** : अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो "Print Challan" का बटन Click करें। ऐसा करने पर उन्हें बैंक चालान की तीन प्रतियाँ कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त होगी, जिनको वे Download कर लें। ये बैंक चालान की प्रतियाँ जो क्रमशः बैंक की प्रति, बोर्ड की प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति होगी, के प्रयोग से कैनरा बैंक की किसी शाखा में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा शुल्क के बैंक चालान के माध्यम से जमा करने हेतु आवश्यक विवरणी नीचे दिया गया है।

निर्धारित परीक्षा शुल्क कैनरा बैंक में जमा करने के बाद अभ्यर्थी को कैनरा बैंक से "चंक् चालान" की बोर्ड प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति प्राप्त होगी। इस "चंक् चालान" में अंकित Transaction ID / Journal No. अभ्यर्थी कृपया अवश्य नोट कर लें। बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु रु. 50/- (पचास रुपये) की अतिरिक्त राशि का भुगतान अभ्यर्थी को करना होगा।

(b) **ऑन लाइन भुगतान** : अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online करना चाहते हैं तो "Online Payment" Link को Click करें। तत्पश्चात किसी भी बैंक के Net Banking / Debit Card / Credit Card जो वेबसाइट पर Listed है, के द्वारा Transaction Processing Charge एवं Service Tax के भुगतान के साथ अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(c) **उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है :-**

(क) जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों और PCM (Physics, Chemistry & Mathematics) अथवा PCB (Physics, Chemistry & Biology) में से किसी एक Subject Group में परीक्षा देना चाहते हैं उनको 660/- (छः सौ साठ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए एक Subject Group में परीक्षा हेतु 330/- (तीन सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

(ख) सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अगर चारों विषयों यथा PCMB (Physics, Chemistry, Mathematics & Biology) Subject Group में परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें 730/- (सात सौ तीस) रुपये का भुगतान परीक्षा शुल्क के रूप में करना होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी को चारों विषयों अर्थात् PCMB (Physics, Chemistry, Mathematics & Biology) ग्रुप में परीक्षा के लिए 365/- (तीन सौ पैंसठ) रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

(iii) **Step - Three (Personal Information)** : सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद "Fill the Personal Information" link को Click करें और जैसा कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से सम्बन्धित Entries required है पूरी तरह भरें। उच्च कंट्रैस्ट का पासपोर्ट साइज अपना फोटो एवं अभ्यर्थी अपने हिन्दी एवं अंग्रेजी के हस्ताक्षर स्कैन कर यथा स्थान डालें। साथ ही अगर बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया हो तो चंक् बैंक चालान की बोर्ड प्रति भी स्कैन कर आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर Upload करें। उपरोक्त रूप से Personal Information भरने के बाद Step-3 की प्रक्रिया पूरी करने हेतु Submit बटन को Click करें।

(iv) **Step - Four (Educational Information)** : "Fill the Educational Information" link को Click करें और अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भरें। Educational Information भरने के बाद Submit बटन को Click करें ताकि Step-4 की प्रक्रिया पूरी हो जाये।

नोट : (i) Stepwise Online Application Final Submit करने से पहले कम्प्यूटर स्क्रीन पर Preview Page को अच्छी तरह जाँच लें ताकि आप सुनिश्चित हो जायें कि आपके द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियाँ (Enterries) सही है। अगर अभ्यर्थी को अपनी प्रविष्टियों में कोई सुधार / संशोधन अथवा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे Submission से पहले ऐसा कर सकते हैं। अगर सभी सूचनायें (Information) सही तरह प्रविष्ट (Enter) कर ली गयी हैं तभी अन्तिम रूप से प्रत्येक Step को Submit करने के लिए अपना Declaration दें। अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद, Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।

(ii) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा।

(iii) सभी Step की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध Application Form के Part-A और Part-B को Download कर निश्चित रूप से प्राप्त कर लें।

7.2 Dispatch of Application Forms, Enclosures and Paid Challan by Registered Post / Speed Post : Online भरे गये Application Forms (Part-A और (Part-B) की Hard Copy जिसे अभ्यर्थी ने Download कर प्राप्त कर लिया है, को भेजने की प्रक्रिया निम्नांकित विधि से पूरी करें :-

- पासपोर्ट साईज का वही फोटो जिसे अभ्यर्थी ने स्कैन कर Online भरा है उसे hard copy के निर्धारित स्थान पर चिपकायें।
- निर्धारित स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करें। अंग्रेजी के हस्ताक्षर में Capital Letters का प्रयोग वर्जित है।
- यथास्थान जैसा कि Application Form के Part-B में Printed है अपनी ही हस्तलिपि में घोषणा (Declaration) को भरें।
- Paid बैंक चालान की बोर्ड कॉपी (मूल प्रति) Application Form के साथ Attach (नक्ली) करें।
- सभी वांछित प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की छाया प्रतियों, जो आपके दावे को सम्पुष्ट करते हैं, को Attach करें।
- उपरोक्त विधि से तैयार एवं निर्दिष्ट अनुलगनकों के साथ पूर्ण किये गये Application Forms को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजने वाले लिफाफे के ऊपर "Application for BCECE-2015" मोटे अक्षरों में लिख दें। साथ ही उसके नीचे अपना Subject Group यथा PCM / PCB / PCMB जो भी सही हो Bold Letter में अवश्य लिखें।
- Registered Post / Speed Post से Application Form भेजने के लिये जो लिफाफा (Envelope) प्रयोग में लाया जायेगा उसका साईज 17 cm x 30 cm एवं कलर पीला (Yellow) होना चाहिए ताकि उसे सम्बन्धित परीक्षा हेतु आसानी से पहचाना / अलग किया जा सके।
- एक लिफाफे में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी का आवेदन (Application) होना चाहिए।
- आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) को सभी वांछित अनुलगनकों के साथ लिफाफे में रख कर, अच्छी तरह लिफाफे को चिपका दें और उसे निम्न पते पर भेजें " **Controllor of Examination, B.C.E.C.E. Board, I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, P.O.-B.V.College, Patna - 800014।**

नोट : हाथों-हाथ या कोरियर सेवा से Application Form प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।

8. आवेदन प्रपत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश :

8.1 आवेदन पत्र / प्रपत्र अंग्रेजी में भरें। हस्ताक्षर एवं घोषणा के अलावा सभी जगहों में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग करें। केवल घोषणा एवं हस्ताक्षर के लिये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग वर्जित है।

8.2 फोटो ग्राफ :

(क) आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के निर्दिष्ट स्थानों पर स्कैन / चिपकाये गये फोटो का आकार पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) श्याम-श्वेत / रंगीन, उच्च कंट्रास्ट एवं एक ही निगेटिव / स्नैप (Snap) से बना या एक ही तरह का होना चाहिए। फोटो को सामने से एक तख्ती (Placard) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम, तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, के साथ खिंचवाये गये हो, को ही प्रयोग में लिया जाना आवश्यक है। डिजिटल या अन्य विधि से खिंचावाया गया फोटो जो कुछ समय के बाद धूमिल या विलुप्त हो जाती है उसे चिपकाना पूर्णतया वर्जित है। आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के साथ जिस स्टुडियों से आपने अपना इसी परीक्षा के आवेदन के लिए खिंचवाया है उसकी मूल रसीद भी अवश्य संलग्न कर दें।

फोटो खिंचवाने की तिथि 01.01.2015 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

(ख) प्रयोग में लाये गये फोटोग्राफ में दोनो कान नजर आने चाहिए। फोटोग्राफ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज्ड / अन्डर एक्सपोज्ड या डार्क) नहीं होने चाहिए। फोटो खिंचवाते समय टोपी (कैप) / काला या रंगीन चश्मा का प्रयोग या अन्य प्रकार से पहचान छुपाने के प्रयत्न

भी वर्जित है।

(ग) Downloaded आवेदन प्रपत्र (पार्ट-बी) पर फोटो चिपकाने के बाद अभ्यर्थी हिन्दी तथा अंग्रेजी में अपना पूरा हस्ताक्षर आवेदन पत्र (पार्ट-बी) के निर्दिष्ट स्थान पर करें।

8.3 नाम :

अभ्यर्थी अपना नाम आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के सभी निर्धारित स्थानों पर माध्यमिक परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा संस्थान/ विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड की वर्तनी (Spelling) के अनुसार ही लिखें।

8.4 पता :

स्थायी पता वह होना चाहिये जो आवेदक के आवासीय प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो।

पत्राचार/ स्थायी पता में पिन कोड नम्बर का व्यवहार जरूर करें। पत्राचार का पता ऐसी जगह का हो कि आपके पास कोई पत्र जल्द-से-जल्द पहुँच जाए। पत्राचार का पता गलत होने की स्थिति में किसी सूचना पत्र के लौट आने पर परीक्षा पर्थद उत्तरदायी नहीं होगा। बाद में पत्राचार हेतु पता बदलने के सम्बन्ध में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

8.5 कोटि (Category) :

आरक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के निर्धारित स्थान पर उचित कोटि अवश्य अंकित करें तथा आवेदन प्रपत्रों पर इसके लिए निर्धारित स्थान में निम्नलिखित संकेत (code) के अनुसार भरें :

कोटि (Category)	संकेत (Code)
(i) General Category (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	GEN
(ii) Scheduled Caste	SC
(iii) Scheduled Tribe	ST
(iv) Extremely Backward Caste	EBC
(v) Backward Caste	BC

नोट : आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls i.e. RCG) के लिये कडिका 5.2, विकलांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के लिये कडिका 5.7 एवं सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota i.e. SMQ) के लिये कडिका 5.8 देखें।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने हेतु, अपने आवेदन पत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) फार्म में जिस आरक्षण कोटि को अंकित किया गया हो उसको सम्पुष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र (अभिप्रमाणित प्रति या अभिप्रमाणित फोटो प्रति) संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षित कोटि के लिए विचार नहीं किया जायेगा। इसे निर्धारित संलग्न प्रपत्र के अनुसार ही होना चाहिए।

8.6 आवेदक अपने आवेदन पत्र (पार्ट-ए) में निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावे के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे और तदनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट/ संस्थान आवंटन प्रक्रिया हेतु अंतिम रूप से मान्य होगी। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदक अपने आवेदनपत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य (Gen) कोटि में समझा जायेगा। आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावे के हनन होने का उत्तरदायित्व उसी आवेदक का ही होगा। यदि आवेदन पत्र पार्ट-ए एवं पार्ट-बी में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन पत्र पार्ट-ए में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

8.6.1 यदि आवेदन पत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) की विभिन्न प्रविष्टियों में कोई विसंगति पायी जाती है तो आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) की प्रविष्टि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

8.7 पिता/ अभिभावक का विवरण :

पिता या अभिभावक (अगर पिता जीवित न हो तब) का नाम, व्यवसाय का नाम तथा संस्था का नाम जहाँ कार्यरत हैं, भरें। उदाहरण के लिए, अगर पिता/ अभिभावक, सरकारी सेवा, एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर जो राज्य सरकार का संस्थान है, में कार्यरत हैं, तो पिता/ अभिभावक के नाम के साथ व्यवसाय के लिए सरकारी सेवा तथा स्थान के लिए एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर लिखना होगा। अभिभावक के नाम के साथ उससे आवेदक का संबंध भी लिखना होगा।

8.8 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना तथा वर्ष अंग्रेजी अंकों में लिखें। जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो।

8.9 लिंग (Sex) :

निर्माकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

Male - M

Female - F

8.10 आवासीय विवरण :

आवेदनपत्र में उचित आवासीय विवरण भरें। इस संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों। इसके लिए निर्धारित प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करें। [देखें कडिका 13.8 (ख) / 14.4 (ड) / 15.4 (ख)]

8.11 घोषणा :

आवेदक को अपनी घोषणा स्वहस्तलिपि में लिख कर आवेदन प्रपत्र के पार्ट-बी के निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। घोषणा एवं हस्ताक्षर के लिये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग वर्जित है।

आवेदन पत्र (पार्ट-बी) में अपेक्षित स्थान पर आवेदक द्वारा अपनी हस्तलिपि में लिखी गयी घोषणा (Declaration) उनके पिता/अभिभावक (यदि पिता जीवित न हों) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिये।

8.12 जिला कोड :

आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) में निर्धारित स्थानों पर जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें :

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	22.	समस्तीपुर	22
2.	भोजपुर	02	23.	मधुबनी	23
3.	बक्सर	03	24.	सहरसा	24
4.	रोहतास	04	25.	मधेपुरा	25
5.	भभुआ	05	26.	सुपौल	26
6.	नालन्दा	06	27.	पूणिया	27
7.	गया	07	28.	कटिहार	28
8.	नवादा	08	29.	किशनगंज	29
9.	औरंगाबाद	09	30.	अररिया	30
10.	अरवल	10	31.	भागलपुर	31
11.	जहानाबाद	11	32.	बांका	32
12.	सारण	12	33.	मुंगेर	33
13.	सिवान	13	34.	बेगुसराय	34
14.	गोपालगंज	14	35.	खगड़िया	35
15.	वैशाली	15	36.	जमुई	36
16.	मुजफ्फरपुर	16	37.	लखीसराय	37
17.	सीतामढ़ी	17	38.	शेखपुरा	38
18.	शिवहर	18	39.	बिहार के बाहर	
19.	पूर्वी चम्पारण	19	(i)	झारखंड	98
20.	पश्चिमी चम्पारण	20	(ii)	अन्य सभी स्थान	99
21.	दरभंगा	21			

8.13 जाति प्रमाणपत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उसकी छाया प्रति (अभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक है। संलग्नित जाति प्रमाण पत्र में प्रमाणित जाति आवेदक के आवेदन पत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) में अंकित आरक्षण कोटि के लिये सुसंगत होना चाहिए।

8.14 प्रवेश पत्र :

(क) प्रवेश पत्र आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) में दिये गये विवरणी के अनुसार कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जायेगा। अतः उसे सावधानी पूर्वक दिये गये निर्देश के अनुसार भरें।

(ख) आवेदन प्रपत्र के पार्ट-ए में आवेदक द्वारा भरी गई विवरणी को आवेदन प्रपत्र के पार्ट-बी में भरे गये विवरण के बिल्कुल अनुरूप एवं पूर्णरूप से सुसंगत होना चाहिए।

आवेदन प्रपत्र (पार्ट-ए) में भरी गई विवरणी के आवश्यक तथ्यों को ही परीक्षा के लिए निर्गत, प्रवेश पत्र (एडमिट-कार्ड) में अंकित किया जायेगा। आवेदक द्वारा घोषित इन तथ्यों के सम्बन्ध में किसी त्रुटि का सुधार परीक्षा के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.15 प्रवेश पत्र की प्राप्ति :

सभी अर्हता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र (Admit Card) पर्षद के वेब साईट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8.16 अनुलग्नक की सूची (List of Enclosures) :

जरूरी प्रमाणपत्रों (विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्रों के अनुसार) की सत्यापित फोटो प्रतियाँ ही आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के साथ संलग्न कर धागा से बाँध दें। **सभी मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय ही लायें।** इस विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में बांछनीय प्रमाणपत्रों की सूची वर्णित है। आवेदनपत्र के साथ किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाणपत्रों की फोटो प्रति/ प्रतियाँ ही भेजें। साथ ही कंडिका-8.2(क) में दिये गये निर्देश के अनुसार, जिस स्टुडियों से आपने इस परीक्षा के लिए फोटो खिंचवाया है, उस स्टुडियो की मूल रसीद अवश्य भेजें। इस रसीद पर अपना हस्ताक्षर भी अंकित करें। जो भी प्रमाण-पत्र आवेदनपत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर सूचीबद्ध कर दें। इसका भी ध्यान रखें कि जो प्रमाणपत्र विवरण पत्रिका के पृष्ठ 1 एवं 2 के निर्देशानुसार जिस सक्षम व्यक्ति/ पदाधिकारी/ संस्थान से प्राप्त करना है, उसी से प्राप्त करें। अन्य सूत्रों से प्राप्त प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। **सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों पर अपना पूरा हस्ताक्षर अवश्य कर दें।**

9. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में निर्देश :

9.1 प्रवेश पत्र :

प्राप्त आवेदन-पत्र / प्रपत्रों की जाँच के बाद प्रथम दृष्टया / औपबधिक रूप से उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए प्रथम चरण की परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के **Website: (i) www.bceceboard.com (ii) www.bceceonline.com** से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को चाहिये कि वह उसकी पीठ पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ ले। आवेदक परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्राप्त प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर उसका पहचान चिन्ह अंकित है तथा उसपर उसका वही फोटो प्रिंट किया हुआ है जिस फोटो का उसने अपने आवेदन प्रपत्रों में स्कैन किया या चिपकाया है।

प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में प्रथम चरण की परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रवेशपत्र के निर्धारित स्थानों पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हर पाली में वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है।

9.2 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे। उत्तर पत्रक का नमूना (Sample OMR Type Answer Sheet) तथा सम्बन्धित निर्देश अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रश्नों की संख्या नमूने के उत्तर पत्रक में दिये गये प्रश्नों की संख्या से भिन्न हो सकती है।

9.3 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

9.4 परीक्षा की तिथि, विषय, प्रश्न पत्र, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि तथा समय :

9.4.1 प्रथम चरण परीक्षा : इस विवरण पुस्तिका की कंडिका 4.2 देखें।

9.4.2 द्वितीय चरण परीक्षा : इस विवरण पुस्तिका की कंडिका 4.3 देखें।

9.5 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण):

परीक्षा के लिए विषयानुसार पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 में दिए गये हैं। पाठ्यक्रम बंधनकारी नहीं हैं केवल मार्गदर्शक हैं। परीक्षा में सामान्यतया प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। इस विवरण पुस्तिका की कंडिका 12 देखें।

प्रथम चरण की परीक्षा एवं द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ (objective) होंगे।

9.6 परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेशपत्र पर अंकित रहेगा।

9.7 मेधा सूची :

9.7.1 प्रथम चरण परीक्षा आधारित मेधा सूची :

अर्हक प्रश्नपत्र के भौतिक विज्ञान खंड, रसायन विज्ञान खंड और गणित खंड में प्राप्त अंको के योग के आधार पर पी०सी०एम० विषय ग्रुप के आवेदकों तथा भौतिक विज्ञान खंड, रसायन विज्ञान खंड और जीव विज्ञान खंड में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर पी०सी०बी० विषय ग्रुप के आवेदकों के लिए अलग-अलग मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी। इन मेधा सूचियों के लिए कोटिवार एक न्यूनतम लब्धांक सीमा निर्धारित की जायेगी जिसमें सम्बन्धित विषय ग्रुप के लिए उपलब्ध कुल सीटों के लगभग 4 गुणा आवेदकों को द्वितीय चरण परीक्षा में बैठने के लिये अर्हक माना जायेगा। जो आवेदक उपर्युक्त के अनुसार अर्हता प्राप्त नहीं कर पायेंगे उन्हें द्वितीय चरण की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अर्हक प्रश्न पत्र के प्राप्तांको की गणना द्वितीय चरण की परीक्षा पर आधारित चयन हेतु अंतिम मेधासूची में नहीं की जायेगी।

9.7.2 द्वितीय चरण परीक्षा आधारित मेधा सूची :

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंकों के योग अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर क्रमशः PCM एवं PCB ग्रुप के लिए अलग-अलग मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी।

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंकों के योग पर आधारित मेधा सूची से कडिका 4.3.3 (क) एवं 4.3.3 (ग) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता- सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध जगहों को भरा जायेगा।

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग पर आधारित मेधा सूची से कडिका 4.3.3 (ख) एवं 4.3.3 (ग) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध जगहों को भरा जायेगा।

9.7.3 प्राइवेट पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम (Private Pilot License Course) के लिए सिविल विमानन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के प्रावधानों के अनुसार सिर्फ उन अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जायेगी जिन्होंने आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) में इस पाठ्यक्रम में चयन के लिए अपना विकल्प भरा है। ऐसे अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दी जायेगी, जहाँ उनकी अन्तर्वीक्षा / स्वास्थ्य परीक्षण / पहचान स्थापन एवं योग्यता के परीक्षण के बाद विभागीय समिति की अनुशंसा पर प्राइवेट पायलट लाइसेंस (Private Pilot License) कोर्स के अनुदानित (Scholarship) एवं गैर अनुदानित (Non-Scholarship) श्रेणी में प्रवेश हेतु चयन किया जायेगा।

9.8 प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण परीक्षाओं के उत्तर पत्रकों के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई इससे संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा।

9.9 यदि दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का जोड़ समान हो तो उनका मेधा क्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा:

क्रम	स्तर क्रम	इंजीनियरिंग धारा (फार्मैसी छोड़ कर)	चिकित्सा धारा	कृषि धारा (फार्मैसी के साथ)
1.	प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	गणित के प्राप्तांक के अनुसार	जीव विज्ञान के प्राप्तांक के अनुसार	जीव विज्ञान (PCB)/ गणित (PCM) के प्राप्तांक के अनुसार
2.	स्तर (1) समान होने पर	भौतिक विज्ञान के प्राप्तांक के अनुसार	रसायन विज्ञान के प्राप्तांक के अनुसार	रसायन विज्ञान (PCB) / भौतिक विज्ञान (PCM) के प्राप्तांक के अनुसार
3.	स्तर (2) समान होने पर	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो

9.10 जो आवेदक अपने आवेदन प्रपत्रों में या परीक्षा के समय या उत्तर पत्रकों में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया अथवा नामांकन के पश्चात अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा/ नामांकन प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी एवं उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे निष्कासित आवेदकों को बी.सी.ई.सी.ई. की अगली तीन प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अनुसार किसी परीक्षा में अनुचित तरीके से अभिप्रेत है कि किसी लिखित या मुद्रित सामग्री से या किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में सहायता लेना या देना अथवा सहायता लेने या देने का प्रयास करना।

9.11 मेधा सूची/ परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या कम्प्यूटर या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

10. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त :

- 10.1 (i)** बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि, समय तथा स्थान की सूचना उचित समय पर डाक द्वारा या / एवं बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के वेब साइट "(i) www.bceceboard.com (ii) www.bcecebonline.com" पर दी जायेगी। मेधा-सह-विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार किसी एक संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जायेगा।
- (ii)** चयनोपरान्त आवंटन आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार के आवेदन प्रपत्र भरने हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियम के अनुसार निर्गत किया जायेगा (देखें कॉडिका-5.5(i)) । आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा।
अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार मेधा-सह-विकल्प के आधार पर संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन उपरान्त सीट आवंटन के पश्चात् अथवा हुए आवंटन पर नामांकन नहीं लेने अथवा नामांकन लेकर छोड़ देने के उपरान्त ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की कॉउन्सेलिंग में उन्हें पूर्व आवंटित संस्थान / पाठ्यक्रम को पुनः आवंटित नहीं किया जा सकेगा ।
- (iii)** प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक डॉक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा ।
- (iv)** परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे ।

10.2 नामांकन शुल्क :

चयनित आवेदकों को नामांकन के लिये कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसकी यथासम्भव जानकारी साक्षात्कार के समय दे दी जायेगी ।

11. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

- 11.1** परीक्षा-संबंधी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा । पर्षद द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये परीक्षा-संबंधी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे ।
- 11.2** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें ।
- 11.3** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा ।
- 11.4** महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (College Leaving Certificate) नामांकन के समय लाना पड़ेगा ।
- 11.5** इंजीनियरिंग/ चिकित्सा/ कृषि धाराओं में नामांकन के लिए आवेदनपत्र में ही विहित स्थान पर उल्लेख कर दें कि वे -
(क) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित (PCM) अथवा
(ख) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (PCB) अथवा
(ग) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं जीव विज्ञान (PCMB)
इनमें से किस विकल्प, यथा- (क) या (ख) या (ग) में द्वितीय चरण की परीक्षा देंगे ।
- 11.6** समय-समय पर समाचारपत्रों के माध्यम से तथा प्रकाशित मेधा सूची में सम्मिलित आवेदकों को पत्रों द्वारा आवश्यक सूचना / सूचनार्यें दी जाती रहेंगी । उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा ।
- 11.7** बी.सी.ई.सी.ई.-2015 की विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है ।
- 11.8** अभ्यर्थियों के लिये परीक्षापूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरान्त निर्गत निर्देश, पर्षद के वेबसाईट या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे ।
- 11.9** इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।
- 11.10** अगर कोई अभ्यर्थी बी.सी.ई.सी.ई.-2015 की परीक्षा के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कदाचार में लिप्त होने अथवा इम्प्रसोनेशन का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी ।
- 11.11** मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्चों से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे ।
- 11.12** कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी के स्वयं केवल उपस्थित हो जाने पर ही नामांकन हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा ।

- 11.13** अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी इस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा। अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
- 11.14** परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत हो जाने से ही नामांकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर यह पता चलता है कि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता नहीं है या इसमें ऐसी अयोग्यता पायी जाती है जिस कारण नामांकन हेतु उसकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 11.15** नामांकन प्रक्रिया समाप्त की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम/ ब्रांच में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- 11.16** नामांकन-प्रक्रिया-समाप्त के बाद जो आवेदक अंक पत्र लेने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अनुरोध करेंगे उन्हें डाक से द्वितीय चरण की परीक्षा के अंकपत्र भेजने की प्रक्रिया की जायेगी।
- 11.17** इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और वही मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगी अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।
- 12. मार्गदर्शक पाठ्यक्रम :**
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम तथा द्वितीय चरणों के लिए प्रत्येक विषय का मार्गदर्शक पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 में दिया गया है। यह पाठ्यक्रम बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु I.Sc. के पाठ्यक्रम पर आधारित है और केवल मार्गदर्शक रूप में है। इसमें वर्णित अंश बन्धनकारी नहीं हैं। वर्णित अंशों से संबंधित अन्य अंशों पर भी समकक्ष प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के कठिन होने या पाठ्यक्रम से बाहर होने के मुद्दे पर विवाद स्वीकार नहीं होगा।
- 13. अभियंत्रण-फार्मैसी धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ तथा वांछित योग्यताएँ :**
- 13.1 संस्थान/पाठ्यक्रम/सीटें :**
(क) इस धारा के अंतर्गत इंजिनियरिंग / आर्किटेक्चर / फार्मैसी के संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कुल सीटों की संख्या सारणी-1 में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार / भारत सरकार / ऑल इंडिया कॉउन्सिल ऑफ टेकनिकल एडुकेशन (अभातशिप) द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो इसकी सूचना साक्षात्कार के समय दे दी जायेगी।
सारणी-1 की सूची में संस्थान एवं अतिरिक्त सीटों को जोड़ने या बदलने का अधिकार परीक्षा पर्षद / सरकार को सुरक्षित होगा।
(ख) अखिल भारतीय तकनीकी परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित समय-सारणी (देखें परिशिष्ट-4) के अनुसार अभियंत्रण धारा के सभी पाठ्यक्रमों में नामांकनार्थ कॉउन्सेलिंग / आवंटनादेश निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
- 13.2 बिहार के बाहर अन्य अभियंत्रण संस्थान :**
बिहार के बाहर अन्य अभियंत्रण संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में बिहार कोटा की आरक्षित सीटों पर संबंधित संस्थान के नियमानुसार नामांकन हेतु बिहार के छात्रों का मनोनयन इसी प्रतियोगिता परीक्षा की मेधा सूची के आधार पर किया जा सकेगा।
- 13.3 बिहार स्थित निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थान :**
बिहार में स्थित निजी क्षेत्र के संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इस प्रतियोगिता परीक्षा की मेधासूची के आधार पर केवल उन्हीं सीटों पर नामांकन हेतु चयन होगा जिनके लिये राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा विधिवत निदेश प्राप्त होगा।
- 13.4 आरक्षण :**
इंजीनियरिंग / आर्किटेक्चर / फार्मैसी के सरकारी संस्थानों की सीटों तथा कडिका 14.1 एवं कडिका 15.1 में वर्णित सीटों (देखें सारणी-1 से 3) पर नामांकन हेतु चयन के लिये बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन-पत्र ऑन लाईन submit करने की तिथि तक लागू आरक्षण अधिनियम/ नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा। संवन्धित विवरण के लिए कडिका-5 देखें।
- 13.5** विकलांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए कडिका-5.7 देखें।
- 13.6** सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए कडिका-5.8 देखें।
- 13.7 विदेश/देश के कुछ अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अतिरिक्त निर्धारित सीटें :**
विदेश तथा देश के कुछ अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, के छात्रों के लिए बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर बिहार अवस्थित संस्थानों में केन्द्र सरकार की अनुशंसा एवं नियमों के अनुसार निर्धारित सीटों पर नामांकन किया जाता है। इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन उनकी अपनी सरकारों द्वारा ही किया जाता है। ऐसे छात्रों को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015 में बैठने की आवश्यकता नहीं है।
- 13.8 परीक्षार्थियों हेतु वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ :**

(क) शैक्षणिक

- I. **इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)**: इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी तथा गणित एवं वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान / बायो टेक्नोलॉजी / जीव विज्ञान / टेकनिकल वोकेशनल विषय में से कोई एक विषय को मिलाकर कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता आवश्यक है। किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिए कम-से-कम उक्त विषयों को मिलाकर 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- II. **फार्मैसी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)**: फार्मैसी पाठ्यक्रम के लिये अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान एवं वैकल्पिक विषय के रूप में गणित / बायोटेक्नोलॉजी/ जीव विज्ञान / टेकनिकल वोकेशनल विषय में से कोई एक विषय को मिलाकर कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता आवश्यक है। किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिए कम-से-कम उक्त विषयों को मिलाकर 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- III. इंटरमीडियट या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(ख) आवासीय :

- केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और
- I. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।
अथवा
 - II. जिनके माता-पिता बिहार में निर्बाधित शरणार्थी हैं।
अथवा
 - III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।
अथवा
 - IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।
अथवा
 - V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।
अथवा
 - VI. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।
अथवा
 - VII. जो 13.7 के अंतर्गत मनोनीत है।

(ग) शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डॉक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

(घ) आयु सीमा :

इंजीनियरिंग/फार्मैसी में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। यदि कोई आवेदक बिहार कोटा के अन्तर्गत बिहार के बाहर के संस्थानों में किसी सीट पर नामांकन का विकल्प देता है, तो उसके लिए उस संस्थान में निर्धारित आयु सीमा के प्रावधान/नियम लागू होंगे।

13.9 अभियंत्रण / आर्किटेक्चर / फार्मैसी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अभातशिप (AICTE) के सभी सम्बन्धित नियम एवं शर्त लागू होगा।

14. चिकित्सा धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ :**14.1 संस्थान/पाठ्यक्रम/सीटें :**

- (क) इस धारा के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों/दन्त महाविद्यालयों/फिजियोथेरोपी, ओकुपेशनल थरेपी महाविद्यालय / राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों/ राजकीय होमियोपैथिक / राजकीय तिब्बी कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कुल सीटों की संख्या सारणी-2 में देखें। सूची में नये संस्थान एवं अतिरिक्त सीटों को जोड़ने या बदलने का अधिकार परीक्षा पर्षद / सरकार को सुरक्षित होगा। इनमें यदि बिहार सरकार/भारत सरकार / मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इन्डिया / डेन्टल कॉन्सिल ऑफ इन्डिया / माननीय न्यायालय या अन्य प्राधिकार द्वारा कोई फेर-बदल किया गया या कोई निर्देश जारी किया गया तो विचारोपरान्त उसकी सूचना नामांकन हेतु साक्षात्कार के समय दे दी जायेगी।

(ख) बिहार स्थित निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थान :

बिहार में स्थित निजी क्षेत्र के संस्थानों में चिकित्सा धारा तथा समान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये इस प्रतियोगिता परीक्षा की मेधा सूची के आधार पर केवल उन्हीं सीटों पर नामांकन हेतु चयन होगा, जिनके लिये राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा विधिवत निर्देश प्राप्त होगा। निजी संस्थानों में नामांकनार्थ फी-स्ट्रक्चर की जानकारी / सम्बन्धित नियम की जानकारी, कॉउन्सेलिंग के समय चयनित निजी संस्थानों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राप्त किया जा सकेगा।

14.2 आरक्षण :

- (क) चिकित्सा धारा के सभी संस्थानों (सारणी-2) में नामांकन हेतु कुल सीटों की 15 प्रतिशत सीटें भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जायेंगी।
- (ख) शेष सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन विक्रय प्रारम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा। (कृपया देखें कडिका-5)।
- (ग) विकलांग कोटा की सीटों के लिये आरक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी प्रावधान कडिका-5.7 एवं परिशिष्ट-2(i) देखें।
- (घ) कुल सीटों में से भारत सरकार द्वारा मनोनीत सीटों के घटाने के उपरान्त शेष सीटों का 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा के अन्तर्गत मुक्त सीटें होंगी। इस प्रकार कुल सीटों में से भारत सरकार द्वारा मनोनीत सीटों तथा अखिल भारतीय कोटा के अन्तर्गत मुक्त सीटों को घटाने के बाद शेष उपलब्ध सीटों पर बिहार सरकार के आरक्षण-प्रावधान लागू होंगे।
- (ङ) प्रत्येक संस्थान में कुल उपलब्ध सीटें उसी अनुपात में भरी जायेंगी जिस अनुपात में बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक कोटि के लिए निर्धारित/आरक्षित हैं। आरक्षण कोटि में नामांकन हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम के सभी संस्थानों को एक यूनिट समझा जायेगा और उसमें नामांकन आरक्षण के निधिरित अनुपात में ही किया जायेगा।

14.3 अतिरिक्त आरक्षित सीट :

भारत सरकार द्वारा मनोनीत एवं स्पॉन्सर्ड आवेदकों के लिए बिहार सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। अन्य अर्हताएँ मनोनीत करनेवाली संस्थाओं/बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार होंगी।

14.4 परीक्षार्थियों हेतु वांछित योग्यताएँ/अर्हताएँ :**(क) शैक्षणिक :**

- (i) चिकित्सा धारा के पाठ्यक्रमों के लिए 10 + 2 / हायर सेकेन्ड्री / आई० एस-सी० / प्री-मेडिकल या समकक्ष परीक्षाओं में अंग्रेजी (भाषा और साहित्य के रूप में) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (बॉटनी, जुलॉजी) विषयों में उत्तीर्ण।
- (ii) इन्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षा में चालू सत्र (2015) में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।
- (iii) तिब्बी कॉलेज, पटना के BUMS पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदक को इन्टरमीडियट / समकक्ष, परीक्षा में 14.4 (क) (i) एवं (ii) में उल्लिखित-शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ख) MBBS डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए कॉउन्सेलिंग निमित्त मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया के प्रावधान लागू होंगे।

- (i) प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये यह आवश्यक होगा कि आवेदक अर्हक (Qualifying) परीक्षा यथा-आई.एस-सी. या समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी में अलग-अलग उत्तीर्ण हो। सामान्य वर्ग के आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50% अंक किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एक साथ मिला कर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होना चाहिये।
- (ii) “उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा के आधार पर बनायी गयी मेधा सूची में सम्मिलित आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में एक साथ मिला कर कुल प्राप्तांक 50% से कम नहीं होना चाहिये। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जन जाति (ST), पिछड़ी जाति (BC) और अत्यन्त पिछड़ी जाति (EBC) के आवेदकों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 50% के स्थान पर 40% से कम नहीं होना चाहिए।
- (iii) परिशिष्ट-2(1) पर आधारित निचले अंगो (lower limbs) की Locomotors विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की अर्हता, अर्हक (Qualifying) परीक्षा तथा MBBS/BDS पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में 50% प्राप्तांक के स्थान पर 45% होगी। परन्तु अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जन जाति (ST), पिछड़ी जाति (BC) और अत्यन्त पिछड़ी जाति (EBC) के आवेदकों की अर्हता अर्हक (Qualifying) परीक्षा तथा MBBS/BDS पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में अलग-अलग 40% प्राप्तांक यथावत् रहेगी।

(ग) उपरोक्त कडिका- 14.4 (ख) के प्रावधान मेडिकल कॉउन्सेल ऑफ इंडिया के निर्णय के अनुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है एवं वे ही प्रावधान अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(घ) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार “भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।”

(ङ) आवासीय :

वही नियम जो 13.8 (ख) (i) से (v) में उल्लिखित हैं।

(च) शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डॉक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

(छ) आयु सीमा :

चिकित्सा धारा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होनी चाहिए। तदनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31.12.1998 के बाद नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में MBBS डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया के अद्यतन प्रावधान लागू होंगे।

15. कृषि धारा में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ :

15.1 संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटें :

इस धारा के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कुल सीटों की संख्या सारणी-3 में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो उसकी सूचना नामांकन के समय दे दी जायेगी।

सारणी-3 की सूची में संस्थान एवं अतिरिक्त सीटों को जोड़ने या बदलने का अधिकार परीक्षा वर्षद / सरकार को सुरक्षित होगा।

15.2 आरक्षण :

- (क) कृषि धारा के सभी संस्थानों में नामांकन हेतु कुल सीटों की 15 प्रतिशत, अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जायेंगी।
- (ख) शेष सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन-पत्र विक्रय प्रारम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा। (कृपया देखें कडिका- 5)।
- (ग) विकलांग कोटा की सीटों के लिए आरक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी प्रावधान कडिका- 5.7 में देखें।
- (घ) सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत सीटों के लिए आरक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी प्रावधान कडिका 5.8 पर देखें।
- (ङ) इसके अतिरिक्त विदेश/देश के कुछ अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के छात्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की अनुशंसा पर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) में नामांकन का प्रावधान है। ऐसे छात्रों को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है।

15.3 छात्राओं को विशेष सुविधा :

बिहार सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू किये जायेंगे।

15.4 परीक्षार्थी हेतु वांछित योग्यताएँ/अर्हताएँ :

(क) शैक्षणिक :

- (i) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) में कृषि धारा के उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित के अनुसार होगी :

पाठ्यक्रम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	विषय
कृषि स्नातक (बी. एस-सी एग्रीकल्चर)	आई. एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/गणित/ कृषि
पशु चिकित्सा स्नातक (बी. बी. एस-सी. एंड ए. एच.)	आई. एस-सी, या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान
गव्य तकनीकी स्नातक (वी. टेक. डेयरी टेक्नोलॉजी)	आई. एस-सी, या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित
कृषि अभियंत्रण स्नातक (बी. टेक. एग्रीकल्चरल इंजि.)	आई, एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित
मत्स्य विज्ञान स्नातक (बी. एफ. एस-सी.)	आई. एस-सी. या समकक्ष में उत्तीर्ण	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान

उद्यान स्नातक बी.एस-सी. (उद्यान)	आई. एस-सी. या समकक्ष	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान गणित / जीव विज्ञान
बायोटेक्नोलॉजी (स्नातक) बी.टेक. (बायोटेक्नोलॉजी)	आई. एस-सी. या समकक्ष	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान / गणित / बायोटेक्नोलॉजी में उत्तीर्ण

(ii) इन्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(ख) आवासीय :

वही नियम जो कंडिका 13.8 (ख) (i) से (v) में उल्लिखित हैं।

(ग) शारीरिक :

प्रवेश के लिये चुने गये आवेदकों की डॉक्टररी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

(घ) आयु सीमा :

राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) में प्रवेश हेतु, परीक्षा वर्ष की पहली जुलाई को आवेदक की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होगी। अधिकतम आयुसीमा निर्धारित नहीं है।

16. प्राइवेट पायलट लाइसेन्स पाठ्यक्रम (Private Pilot License Course [PPL]) [बिहार फ्लाईंग इन्स्टीच्यूट, पटना-14 में संचालित] में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ :

16.1 संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटें : इस धारा (पाठ्यक्रम) के अन्तर्गत उपलब्ध सीटों की संख्या आदि से सम्बन्धित विवरणी सारणी-4 में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई फेर-बदल किया गया तो उसकी सूचना नामांकन हेतु चयन के समय, सम्बन्धित विभाग / संस्थान द्वारा ही दी जा सकेगी।

सारणी-4 में इस पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सूची में अतिरिक्त सीटों को जोड़ने बदलने का अधिकार पर्यट / राज्य सरकार को सुरक्षित रहेगा।

16.2 आरक्षण :

(क) प्राइवेट पायलट लाइसेन्स (Private Pilot License-PPL) कोर्स में उपलब्ध कुल सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन पत्र विक्रय करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

(ख) विकलांग कोटा अथवा सैनिक कर्मचारी कोटा से सम्बन्धित प्रावधान जो क्रमशः कंडिका 5.7 एवं 5.8 में दी गयी है वे प्राइवेट पायलट लाइसेन्स (Private Pilot License-PPL) कोर्स / पाठ्यक्रम / धारा में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन के लिए लागू नहीं होंगे।

16.3 महिलाओं को विशेष सुविधा के सम्बन्ध में बिहार सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत नियम ही लागू किये जायेंगे।

16.4 परीक्षार्थी / अभ्यर्थी हेतु वांछित योग्यतायें / अर्हतायें :

शैक्षणिक :

प्राइवेट पायलट लाइसेन्स (Private Pilot License-PPL) पाठ्यक्रम / धारा के लिए आवेदक को I.Sc. / 10 + 2 / समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ, कम-से-कम 60 % (साठ प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए **अथवा** कम-से-कम 50 % (पचास प्रतिशत) अंकों एवं उपरोक्त विषयों के साथ B.Sc. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों के लिए भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय सहित I.Sc. / 10 + 2 / समकक्ष परीक्षा कम-से-कम 50 % (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए **अथवा** कम-से-कम 45 % (पैतालिस प्रतिशत) अंकों एवं उपरोक्त विषयों के साथ B. Sc. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।

16.5 आवासीय अर्हता :

बिहार के मूल निवासी / स्थायी निवासी आवेदक ही इस पाठ्यक्रम / धारा में नामांकन / चयन के योग्य समझे जायेंगे।

16.6 शारीरिक योग्यता :

प्रवेश के चयन से पूर्व डाक्टररी जाँच की जायेगी। इस जाँच में योग्य पाये जाने के बाद ही अन्तिम रूप से चयन की आगे की प्रक्रिया की जायेगी। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

16.7 आयु सीमा :

प्राइवेट पायलट लाइसेन्स (Private Pilot License-[PPL]) पाठ्यक्रम / धारा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 17 वर्ष है।

16.8 अन्य सूचनायें :

प्राइवेट पायलट लाइसेन्स (Private Pilot License-[PPL]) पाठ्यक्रम / धारा में चयन के लिए (क) अनुदानित (Scholarship) श्रेणी की सीटें-20 एवं (ख) गैर-अनुदानित (Non Scholarship) श्रेणी की सीटें-20 उपलब्ध हैं। उपरोक्त (क) एवं (ख) श्रेणी की सीटों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित है। सीटों का आरक्षण कोटिवार वितरण एवं शुल्क हेतु जानकारी के लिए देखें सारणी-4।

सारणी—1

Statement of Total Available Seats in Different Colleges (Branchwise) in Engineering — Pharmacy Stream* for the session 2015-2016 (On the basis of session - 2014-2015)

Note: BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

SN.	Institute	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Civil	Mech.	Elect.	Chem.	Met.	Prod.	ECE	Arch.	Min.	CSE	B.Ph.	AEI	TXE	L.TECH.	I.T.	E. Electro.	OTHERS	TOTAL
(A)	Govt. Institutions																		
1.	M.I.T.Muzaffarpur	60+3	60+3	60+3	—	—	—	40+2	—	—	—	15	—	—	15+1	40+2	—	—	290+14
2.	B.C.E. Bhagalpur	30+2	45+2	45+2	—	—	—	40+2	—	—	40+2	—	—	—	—	—	—	—	200+10
3.	Nalanda C.of Engg. Chandi,Nalanda	60+3	60+3	—	—	—	—	—	—	—	60+3	—	—	—	—	—	60+3	—	240+12
4.	G.C.E. Gaya	60+3	60+3	—	—	—	—	—	—	—	60+3	—	—	—	—	—	60+3	—	240+12
5.	M.C.E. Motihari	60+3	60+3	—	—	—	—	—	—	—	60+3	—	—	—	—	—	60+3	—	240+12
6.	D.C.E. Darbhanga	60+3	60+3	—	—	—	—	—	—	—	60+3	—	—	—	—	—	60+3	—	240+12
7.	G.P.I., Patna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	60
8.	L.J.P.I.T., Chapra	60+3	60+3	—	—	—	—	—	—	—	60+3	—	—	—	—	—	60+3	—	240+12

- * (i) The Institutions,courses and available seats as mentioned above are provisional. Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
(ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.
(iii) SMQ seats are included in total seats in each institution and allotment under this quota will be made after approval from the Department of Science & Technology, Govt. of Bihar..
(iv) A few seats may also be allocated in other Engineering Institutions outside Bihar by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Detailed information in this respect will be made available at the time of counselling / Interview.
(v) 5 % seats for economically backward students are shown in addition (+). Economically backward students are those whose Parents / Guardian income is less than Rs.4.5 Lacs per annum.

सारणी — 2**Statement of total available seats in different Colleges in Medical stream* for the session 2015-2016 (On the basis of session - 2014-2015)****Schedule — A**

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	College	Total seats	Central Nomin-ees	All India quota	State seats	Gene-ral category	S.C. Cat-egory	S.T. Cat-egory	E.B.C Cat-egory	B.C. Cat-egory	Girls of re-served cat-egory
1.	Patna Medical College, Patna	150	5	22	123	62	19	1	22	15	4
2.	Darbhanga Medical College, Laheriasarai	100	5	15	80	40	13	1	15	9	2
3.	J. L. N. Medical College, Bhagalpur	100	4	15	81	40	13	1	15	10	2
4.	Nalanda Medical College, Patna	100	4	15	81	41	13	1	14	10	2
5.	S. K. Medical College Muzaffarpur	100	4	15	81	41	13	-	15	10	2
6.	A. N. M. Medical College, Gaya	100	4	15	81	40	13	1	15	10	2
7.	I.G.I.M.S. Sheikhpura, Patna	100	-	15	85	43	13	1	15	10	3
8.	V.I.M.S., Pawapuri	100	-	15	85	42	14	1	15	10	3
9.	G.M.C., Bettiah	100	-	15	85	42	14	1	15	10	3
Total		950	26	142	782	391	125	8	141	94	23
10.	Patna Dental College, Patna	40	4	6	30	15	5	-	5	4	1
Total		40	4	6	30	15	5	-	5	4	1
Grand Total		990	30	148	812	406	130	8	146	98	24

- * (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
(ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.
(iii) Admissions in Patna Dental College, Patna, will be taken after due permission for the same from Govt. of India / Govt. of Bihar.

सारणी—2**Statement of total available seats in different Colleges in Medical stream* for the session 2015-2016 (On the basis of session - 2014-2015)****Schedule — B**

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	College	Total seats	Central Nomin-ees	All India quota	State seats	Gene-ral category	S.C. Cat-egory	S.T. Cat-egory	E.B.C Cat-egory	B.C. Cat-egory	Girls of re-served cat-egory
16.	Rajkiya Ayurvedic College, Patna	40	—	—	40	20	6	1	7	5	1
17.	Rajkiya Ayurvedic College, Begusarai	30	—	—	30	15	5	—	5	4	1
18.	Rajkiya Ayurvedic College, Bhagalpur	20	—	—	20	10	3	—	4	2	1
19.	Rajkiya Ayurvedic College, Darbhanga	20	—	—	20	10	3	—	4	3	—
20.	Rajkiya Ayurvedic College, Buxar	34	—	—	34	17	6	—	6	4	1
21.	Rajkiya Homoeopathic College, Muzaffarpur	60	—	—	60	30	9	1	11	7	2
22.	Govt. Tibbi College, Patna	26	—	—	26	13	4	—	5	3	1
23.	Bihar College of Physiotherapy & Occupational Theraphy, Patna										
	(a) B. Ph. T.	20	—	—	20	10	3	—	4	2	1
	(b) B.Th. O.	20	—	—	20	10	3	—	4	2	1

* (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) Admissions in All the Colleges mentioned above will be taken after due permission for the same from Govt. of India / Govt. of Bihar.

सारणी — 2**Statement of total available seats in different Institution / Colleges in Medical stream for the session - 2015-2016 (On the basis of 2014-2015)****Schedule — C**

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Institution /College	Name of the Course	Total seats	General	SC	ST	EBC	BC	RCG
1.	Public Health Institution, Patna	B.Sc. Medical Lab. Technician	20	10	4	-	4	2	0
2.	Public Health Institution, Patna	B.Sc. O.T. Assistant Technician	20	10	3	-	4	2	1
3.	Public Health Institution, Patna	B.Sc. X-Ray Technician	20	10	3	-	4	2	1
4.	Public Health Institution, Patna	B.Sc. Ophthalmic Assistant	20	10	3	-	3	3	1
5.	Patna Medical College, Patna	B.Sc. Orthotics & Prosthetics	20	10	3	1	3	3	0
TOTAL			100	50	16	1	18	12	3

- * (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
(ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.
(iii) Admissions in the Institutions mentioned above will be taken after due permission for the same from the Govt. of India / Govt. of Bihar.

सारणी — 3

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में कोटिवार उपलब्ध सीटों का विवरण
(सत्र 2014-2015 के आधार पर)

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

स्नातक पाठ्यक्रम	कुल सीट	सीटों का बँटवारा आरक्षण रोस्ट्रों के अन्दर							
		15 प्रति सीट ICAR/ VCT कोटा के तहत	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन-जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	मिलिटरी वार्ड
1. स्नातक (कृषि)									
(क) तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली (राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)	60	9	25	8	1	9	6	2	2**
(ख) बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर, भागलपुर (बिहार कृषि विश्वविद्यालय)	60	9	26	8	1	9	6	1	2**
(ग) मंडन भारती कृषि महा., सहरसा (बिहार कृषि विश्वविद्यालय)	30	5	13	4	0	4	3	1	0
(घ) कृषि महाविद्यालय, डुमरांव, बक्सर (बिहार कृषि विश्वविद्यालय)	25	4	11	3	0	4	2	1	0
(ङ) भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ। (बिहार कृषि विश्वविद्यालय)	50	8	21	7	0	8	5	1	0
कुल	225	35	96	30	2	34	22	6	4**
2. स्नातक (पशु चिकित्सा)									
बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना (बिहार कृषि विश्वविद्यालय)	60	9	26	8	1	9	6	1	—
3. स्नातक (मत्स्य)									
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर (राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)	25	4	10	4	0	4	2	1	—
4. स्नातक (कृषि अभि.)									
कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)	25	4	10	4	0	4	2	1	—
5. स्नातक (गव्य)									
संजय गाँधी गव्य तकनिकी संस्थान पटना (बिहार कृषि विश्वविद्यालय)	25	4	11	3	0	4	2	1	—
6. स्नातक (उद्यान)									
उद्यान महाविद्यालय नूरसराय, नालन्दा (बिहार कृषि विश्वविद्यालय)	25	4	11	3	0	4	2	1	—
7. स्नातक (बायोटेक्नोलॉजी)									
विज्ञान एवं मानविकी संकाय राजेन्द्र कृषि वि.वि., पूसा	30	5	13	3	1	5	2	1	—
कुल	190	30	81	25	2	30	16	6	—
कुल योग	415	65	177	55	4	64	38	12	4

* (i) संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउंसैलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।

** स्नातक (कृषि) पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित सीटों के अतिरिक्त मिलिटरी वार्ड के लिए चार सीटें आरक्षित हैं।

सारणी — 4

बिहार फ्लाईंग इन्स्टीच्यूट, पटना-14 में प्राईवेट पायलट लाइसेन्स पाठ्यक्रम (Private Pilot Licence Course [PPL]) की उपलब्ध सीटें और उनकी वितरण विवरणी (सत्र 2015-2016):
(सत्र 2014-2015 के आधार पर)

Sl. No.	Institution /College	Name of the Course	Class/Type of Seats	Total Seats	Gen-eral	SC	ST	EBC	BC	RCG
1.	Bihar Flying Institute, Patna-14	Private Pilot Licence	A	20	10	03	-	04	02	01
2.	Bihar Flying Institute, Patna-14	Private Pilot Licence	B	20	10	03	-	04	02	01
TOTAL				40	20	06	-	08	04	02

- Note : 1. The above A and B type or class of seats are of scholarship seats and Non-scholarship seats ;
- (i) Scholarship basis seats cost @ Rs. 930/-
Per hour - having full cost Rs.55800/-
 - (ii) Non-Scholarship basis seats cost @ Rs.3720/-
per hour - having full cost Rs.2,23,200/-
2. The above seats are provisional. Any change in the above said information will be made known to the candidates at the time of Interview for final selection.

परिशिष्ट-1

बी०सी०ई०सी०ई०-2015 के लिये मार्गदर्शक पाठ्यक्रम

PHYSICS

Physical world and measurement

Physics : scope and excitement, nature of physical laws; Physics, technology and society.

Need for measurement : Units of measurement, systems of units. S.I. units, fundamental and derived units, length, mass and time measurements, accuracy and precision of measuring instruments, errors in measurement, significant figures, regular and irregular errors.

Dimensions of physical quantities, dimensional analysis and its applications.

Kinematics

Frame of reference, Motion in straight line, position time graph, speed and velocity. Uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity.

Uniformly accelerated motion, velocity time and position time graphs, relations for uniformly accelerated motion (graphical treatment).

Elementary concepts of differentiation and integration for describing motion.

Scalar and vector quantities : Position and displacement vectors, general vectors and notation, equality of vectors, multiplication of vectors by a real number, addition and subtraction of vectors, relative velocity.

Unit vector, Resolution of a vector in a plane-rectangular components.

Motion in a plane, Cases of uniform velocity and uniform acceleration - projectile motion, uniform circular motion.

Laws of Motion

Intuitive concept of force, Inertia, Newton's first law of motion, momentum and Newton's Second law of motion, impulse, Newton's third law of motion, Law of conservation of linear momentum and its applications.

Equilibrium of concurrent forces, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, lubrication, dynamics of uniform circular motion : centripetal force examples of circular motion (vehical on level circular road, vehical on banked road).

Work, Energy and Power

Scalar product of Vector work done by a constant force and a variable force, kinetic energy, work-energy theorem, power.

Notion of potential energy, potential energy of a spring, conservative forces; conservation of mechanical energy (Kinetic and potential energies), non conservative forces, elastic and inelastic collisions in one and two dimension.

Motion of System of Particles and Rigid body.

Centre of mass of two-particle system, momentum, conservation and centre of mass motion, centre of mass of a rigid body, centre of mass of circular ring, disc, rod and sphere.

Vector product of vectors; momentum of a force, torque angular momentum, conservation of angular momentum with some examples.

Equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation and equations of rotational motion, comparison of linear and rotational motion, moment of inertia, radius of gyration. Values of M.I. for simple geometrical objects (no derivation), statement of parallel and perpendicular axes theorems and their applications.

Gravitation

Keplar's laws of planetary motion, The universal law of gravitation, Acceleration due to gravity and its variation with altitude and depth.

Gravitational potential energy, gravitational potential, escape velocity, orbital velocity of satellite, Geo-stationary satellites.

Properties of Bulk Matter

Elastic behaviour, stress-strain relationship, Hooke's law, Young's modulus, Bulk modulus, Deformation, Shear modulus of rigidity.

Pressure due to fluid column, pascal's law and its applications / hydraulic lift and hydraulic brakes).

Effect of gravity on fluid pressure.

Viscosity, stoke's law terminal velocity, Reynold's number, Streamline and turbulent flow, Bernoulli's theorem and

its applications.

Surface energy and surface tension, angle of contact, application of surface tension, ideas to drop bubbles and capillary rise.

Heat and Thermodynamics

Heat, temperature, thermal expansion, specific heat capacity, Calorimetry, change of state, latent heat.

Heat transfer - conduction, convection and radiation, thermal conductivity, Newton's law of cooling.

Thermal equilibrium and definition of temperature (Zeroth law of thermodynamics). Heat, work and internal energy.

First law of thermodynamics.

Second law of thermodynamics, Reversible and irreversible processes. Heat engines and refrigerator.

Behaviour of Perfect Gas and Kinetic Theory

Equation of state of a perfect gas, work done on compressing a gas.

Kinetic theory of gases : Assumptions, concept of pressure, Kinetic energy and temperature, rms speed of gas molecules, degrees of freedom, law of equipartition of energy (statement only) and application to specific heat capacities of gases, concept of mean free path, Avogadro's number.

Oscillations and Waves.

Periodic motion - period, frequency, displacement as a function of time, periodic functions, simple harmonic motion (SHM) and its equation, phase, oscillation of a spring - restoring force and force constant energy in SHM - Kinetic and potential energies, simple pendulum - derivation of expression for its time period) free, forced and damped oscillations (qualitative ideas only), resonance.

Wave motion, Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion, Displacement relation for progressive waves, principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves in strings and organ pipes, fundamental mode and harmonics, Beats, Doppler effect.

*** Electrostatics**

Electric Charge; Conservation of charge, Coulomb's law-force between two point charges, forces between multiple charges; superposition principle and continuous charge distribution.

Electric field; electric field due to a point charge, electric field lines; electric dipole, electric field due to a dipole; torque on a dipole in uniform electric field.

Electric flux, statement of Gauss's theorem and its applications to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical shell (field inside and outside).

Electric potential, potential difference, electric potential due to a point charge, a dipole and system of charges; equipotential surfaces, electrical potential energy of a system of two point charges and of electric dipole in an electrostatic field.

Conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor. Dielectrics and electric polarisation, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor. Van de Graaff generator.

Current Electricity

Electric current, flow of electric charges in a metallic conductor, drift velocity, mobility and their relation with electric current; Ohm's law, electrical resistance, V-I characteristics (linear and non-linear), electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity. Carbon resistors, colour code for carbon resistors; series and parallel combinations of resistors; temperature dependence of resistance.

Internal resistance of a cell, potential difference and emf of a cell, combination of cells in series and in parallel.

Kirchhoff's laws and simple applications. Wheatstone bridge, metre bridge.

Potentiometer - principle and its applications to measure potential difference and for comparing emf of two cells; measurement of internal resistance of a cell.

Magnetic effects of current & Magnetism

Concept of magnetic field, Oersted's experiment.

Biot - Savart law and its application to current carrying circular loop.

Ampere's law and its applications to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids.

Force on a moving charge in uniform magnetic and electric fields. Cyclotron.

Force on a current-carrying conductor in a uniform magnetic field. Force between two parallel current-carrying conductors-definition of ampere. Torque experienced by a current loop in uniform magnetic field, moving coil galvanometer-its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter.

Current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment of a revolving electron.

Magnetic field intensity due to a magnetic dipole (bar magnet) along its axis and perpendicular to its axis. Torque on a magnetic dipole (bar magnet) in an uniform magnetic field; bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines; Earth's magnetic field and magnetic elements. Para-, dia- and ferro- magnetic substances, with examples. Electromagnets and factors affecting their strengths. Permanent magnets.

Electromagnetic Induction and Alternating currents

Electromagnetic induction; Faraday's law, induced emf and current; Lenz's Law, Eddy currents. Self and mutual inductance.

Need for displacement current.

Alternating currents, peak and rms value of alternating current/ voltage; reactance and impedance; LC oscillations (qualitative treatment only), LCR series circuit, resonance; power in AC circuits, wattless current.

AC generator and transformer.

Electromagnetic Waves

Electromagnetic waves and their characteristics (qualitative ideas only). Transverse nature of electromagnetic waves.

Electromagnetic spectrum (radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays gamma rays) including elementary facts about their uses.

Optics

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, Refraction of light, total internal reflection and its applications, optical fibres, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens-maker's formula. Magnification, power of a lens, combination of thin lenses in contact, Refraction and dispersion of light through a prism.

Scattering of light-blue colour of the sky and reddish appearance of the sun at sunrise and sunset.

Optical instruments; Human eye, image formation and accommodation, correction of eye defects (myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism) using lenses. Microscopes and astronomical telescopes (reflecting and refracting) and their magnifying powers.

Wave optics: wave front and Huygens' principle, reflection and refraction of plane wave at a plane surface using wave fronts. Proof of laws of reflection and refraction using Huygens' principle. Interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light. Diffraction due to a single slit, width of central maximum. Resolving power of microscopes and astronomical telescopes. Polarisation, plane polarised light; Brewster's law, uses of plane polarised light and Polaroids.

Dual Nature of Matter and Radiation

Photoelectric effect, Hertz and Lenard's observations; Einstein's photoelectric equation-particle nature of light.

Matter waves-wave nature of particles, de Broglie relation. Davission-Germer experiment.

Atoms and Nuclei

Alpha-particle scattering experiment; Rutherford's model of atom; Bohr model, energy levels, hydrogen spectrum.

Composition and size of nucleus, atomic masses, isotopes, isobars; isotones, Radioactivity-alpha, beta and gamma particles/rays and their properties; radioactive decay law. Mass-energy relation, mass defect; binding energy per nucleon and its variation with mass number; nuclear fission and fusion.

Electronic Devices

Semiconductors; semiconductor diode - I-V characteristics in forward and reverse bias, diode as a rectifier; I-V characteristics of LED, photodiode, solar cell, and Zener diode; Zener diode as a voltage regulator. Junction transistor, transistor action, characteristics of a transistor; transistor as an amplifier (common emitter configuration) and oscillator. Logic gates (OR, AND, NOT, NAND and NOR). Transistor as a switch.

Communication Systems

Elements of a communication system (block diagram only); bandwidth of signals (speech, TV and digital data); bandwidth of transmission medium. Propagation of electromagnetic waves in the atmosphere, sky and space wave propagation. Need for modulation. Production and detection of an amplitude-modulated wave.

CHEMISTRY

Some basic concepts of Chemistry :

General Introduction : Importance and scope of chemistry. Historical approach to particulate nature of matter, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory; concept of elements, atoms and molecules, Atomic and molecular masses. Mole concept and molar mass; percentage composition, empirical and molecular formula; chemical reactions, stoichiometry and calculations based on stoichiometry.

Structure of Atom :

Discovery of electron, proton and neutron and their characteristics; atomic number, Isotopes & Isobars, Thomson's model and its limitation, Rutherford's model and its limitations, Bohr's model and its limitations, concept of shells and subshells, dual nature of matter and light, De Broglie's relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, Quantum numbers, shapes of S.P. and D orbitals, rules, for filling electrons in orbitals Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals.

Classification of Elements and Periodicity in Properties:

Significance of classification, brief history of the development of periodic table, modern periodic law and the present form of periodic table, periodic trends in properties of elements - atomic radii, ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electro negativity, valence.

Chemical Bonding and Molecular Structure :

Valence electrons, ionic bond, covalent bond, bond parameters, Lewis structure, polar character of covalent bond, Covalent characters of Ionic bond, valence bond theory, resonance, geometry of covalent molecules, VSEPR theory, concept of hybridization involving s, p and d orbitals and shapes of some simple molecules, molecular orbital, theory of homonuclear diatomic molecules (qualitative idea only). Hydrogen bonding.

States of Matter : gases and liquids :

Three states of matter, Intermolecular interactions, type of bonding, melting and boiling points. Role of gas laws in elucidating the concept of the molecule, Boyle's law, Charles's law, Gay Lussac's law Avogadro's law, Ideal behaviour, empirical derivation of gas equation. Avogadro's number. Ideal gas equation. Derivation from ideal behaviour, liquification of gases, critical temperature.

Liquid State - Vapour pressure, viscosity and surface tension (qualitative idea only, no mathematical derivations).

Thermodynamics :

Concepts of system, types of systems, surroundings, work, heat, energy, extensive and intensive properties, state functions, First law of thermodynamics - internal energy and enthalpy, heat capacity and specific heat, measurement of ΔU and ΔH , Hess's law of constant heat summation enthalpy of : bond dissociation, combustion, formation, atomization, Sublimation, phase transformation, ionization and solution.

Introduction of entropy as a state function, free energy change for spontaneous and non-spontaneous process, criteria for equilibrium.

Equilibrium :

Equilibrium in physical and chemical processes dynamic nature of equilibrium, law of mass action, equilibrium constant, factors affecting equilibrium - Le Chatelier's principle; ionic equilibrium - ionization of acids and bases, strong and weak electrolytes, degree of ionization, concept of pH. Hydrolysis of salts (elementary idea), buffer solutions, solubility product, common ion effect (with illustrative examples).

Redox Reactions :

Concept of oxidation and reduction, redox reactions, oxidation number, balancing redox reactions, applications of redox reactions.

Hydrogen :

Position of hydrogen in periodic table, occurrence, isotopes, preparation, properties and uses of hydrogen; hydrides - ionic, covalent and interstitial; physical and chemical properties of water, heavy water; hydrogen peroxide - preparation, reactions and structure; hydrogen as a fuel.

s-Block Elements (Alkali and Alkaline earth metals):

Group 1 and Group 2 elements :

General introduction, electronic configuration, occurrence, anomalous properties of the first element of each group, diagonal relationship, trends in the variation of properties (such as ionization enthalpy, atomic and ionic radii) trends in chemical reactivity with oxygen, water, hydrogen and halogens; uses.

Preparation and properties of some important compounds :

Sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate, biological importance of

sodium and potassium.

CaO, CaCO₃ and industrial use, lime and limestone. Biological importance of Mg and Ca.

Some p-Block Elements

General Introduction p-Block Elements

Group 3 elements : General introduction, electronic configuration, occurrence, Variation of properties, oxidation states, trends in chemical reactivity, anomalous properties of first element of the group; Boron-physical and chemical properties, some important compounds : borax, boric acids, boron hydrides. Aluminium : uses, reactions with acids and alkalies.

Group 4 elements : General introduction, electronic configuration, occurrence, variation of properties, oxidation states, trends in chemical reactivity, anomalous behaviour of first element, Carbon - catenation, allotropic forms, physical and chemical properties; uses of some important compounds : oxides. Important compounds of Silicon and a few uses: Silicon tetrachloride, silicons, silicates and zeolite. (Part-I)

Organic Chemistry - Some Basic Principles and Techniques :

General introduction, methods of qualitative and quantitative analysis, classification and IUPAC nomenclature of organic compounds.

Electronic displacements in a covalent bond; inductive effect, electromeric effect, resonance and hyper conjugation.

Hemolytic and heterolytic fission of a covalent bond: free radicals, carbocations, carboanions; electrophiles and nucleophiles, types of organic reactions.

Hydrocarbons :

Classification of hydrocarbons :

Alkanes - Nomenclature, isomerism, conformations (ethane only), methods of preparation, physical properties, chemical reactions including halogenation, free radical mechanism, combustion and pyrolysis.

Alkenes - Nomenclature, structure of double bond (ethene), geometrical isomerism, methods of preparation, physical properties, chemical reaction : addition of hydrogen, halogen, water, hydrogen halides (Markovnikov's addition and peroxide effect), ozonolysis, oxidation, mechanism of electrophilic addition.

Alkynes - Nomenclature, structure of triple bond (ethyne), methods of preparation, physical properties, chemical reactions; acidic character of alkynes, addition reactions of hydrogen, halogenes, hydrogen halides and water.

Aromatic hydrocarbons - Introduction, IUPAC nomenclature, Benzene : resonance, aromaticity : methods of preparation, chemical properties.

Mechanism of electrophilic substitution - nitration, sulphonation, halogenation, Friedel Craft's alkylation and acylation; directive influence of functional group in mono-substituted benzene; carcinogenicity and toxicity.

Environmental Chemistry :

Environmental pollution - Air, water and soil pollution, chemical reactions in atmosphere smogs, major atmospheric pollutants : acid rain, ozone and its reactions, effects of depletion of ozone layer, greenhouse effect and global warming - pollution due to industrial wastes, green chemistry as an alternative tool for reducing pollution, strategy for control of environmental pollution.

* Solid State

Classification of solids based on different binding forces : molecular, ionic covalent and metallic solids, amorphous and crystalline solids (elementary idea), unit cell in two dimensional and three dimensional lattices, calculation of density of unit cell, packing in solids, voids, number of atoms per unit cell in a cubic unit cell, point defects, electrical and magnetic properties.

Solutions

Types of solutions, expression of concentration of solutions of solids in liquids, solubility of gases in liquids, solid solutions, colligative properties--relative lowering of vapour pressure, elevation of Boiling Point, depression of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties, abnormal molecular mass.

Electrochemistry

Redox reactions, conductance in electrolytic solutions, specific and molar conductivity variations of conductivity with concentration, Kohlrausch's law, electrolysis and laws of electrolysis (elementary idea), dry cell-electrolytic cells and Galvanic cells; lead accumulator, EMF of a cell, standard electrode potential, Nernst equation and its application to chemical cells, fuel cells; corrosion.

Chemical Kinetics

Rate of a reaction (average and instantaneous), factors affecting rates of reaction; concentration, temperature, catalyst; order and molecularity of a reaction; rate law and specific rate constant, integrated rate equations and half life (only for zero and first order reactions); concept of collision theory (elementary idea, no mathematical treatment)

Surface Chemistry

Adsorption - physisorption and chemisorption; factors affecting adsorption of gases on solids; catalysis: homogenous and heterogeneous, activity and selectivity: enzyme catalysis; colloidal state: distinction between true solutions, colloids and suspensions; lyophilic, lyophobic, multimolecular and macromolecular colloids: properties of colloids; Tyndall effect, Brownian movement, electrophoresis, coagulation; emulsion - types of emulsions.

General Principles and Processes of Isolation of Elements

Principles and methods of extraction - concentration, oxidation, reduction electrolytic method and refining; occurrence and principles of extraction of aluminium, copper, zinc and Iron.

p-Block Elements

Group - 5 elements : General introduction, electronic configuration, occurrence, oxidation states, trends in physical and chemical properties; nitrogen - preparation, properties and uses; compounds of nitrogen: preparation, properties and uses; compounds of nitrogen: preparation and properties of ammonia and nitric acid, oxides of nitrogen (structure only); Phosphorous-allotropic forms; compounds of phosphorous: preparation and properties of phosphine, halides (PCl_3 , PCl_5) and oxoacids (elementary idea only).

Group - 6 elements : General introduction, electronic configuration, oxidation states, occurrence, trends in physical and chemical properties; dioxygen: preparation, properties and uses; simple oxides; Ozone, Sulphur-allotropic forms; compounds of sulphur: preparation, properties and uses of sulphur dioxide; sulphuric acid: industrial process of manufacture, properties and uses, oxoacids of sulphur (structures only).

Group - 7 elements : General introduction, electronic configuration, oxidation states, occurrence, trends in physical and chemical properties; compounds of halogens; preparation, properties and uses of chlorine and hydrochloric acid, interhalogen compounds, oxoacids of halogens (structures only).

Group - 8 elements : General introduction, electronic configuration. Occurrence, trends in physical and chemical properties, uses. (Part-II)

d- and f- Block Elements

General introduction, electronic configuration, occurrence and characteristics of transition metals, general trends in properties of the first row transition metals - metallic character, ionization enthalpy, oxidation states, ionic radii, colour, catalytic property, magnetic properties, interstitial compounds, alloy formation. Preparation and properties of $K_2Cr_2O_7$ and $KMnO_4$.

Lanthanoids - electronic configuration, oxidation states, chemical reactivity and lanthanoid contraction.

Actinoids - Electronic configuration, oxidation states.

Coordination Compounds

Coordination Compounds - Introduction, ligands, coordination number, colour, magnetic properties and shapes, IUPAC nomenclature of mononuclear coordination compounds, bonding; isomerism, importance of coordination compounds (in qualitative analysis, extraction of metals and biological systems).

Haloalkanes and Haloarenes

Haloalkanes: Nomenclature, nature of C-X bond, physical and chemical properties, mechanism of substitution reactions.

Haloarenes: Nature of C-X bond, substitution reactions (directive influence of halogen for monosubstituted compounds only)

Uses and environmental effects of - dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, iodoform, freons, DDT.

Alcohols, Phenols and Ethers

Alcohols : Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties (of primary alcohols only); identification of primary, secondary and tertiary alcohols; mechanism of dehydration, uses of methanol and ethanol.

Phenols : Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties, acidic nature of phenol, electrophilic substitution reactions, uses of phenols.

Ethers : Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties, uses.

Aldehydes, Ketones and Carboxylic acids

Aldehydes and Ketones : Nomenclature, nature of carbonyl group, methods of preparation, physical and chemical properties mechanism of nucleophilic addition, reactivity of alpha hydrogen in aldehydes; uses.

Carboxylic Acids : Nomenclature, acidic nature, methods of preparation, physical and chemical properties; uses.

Organic compounds containing Nitrogen

Amines : Nomenclature, classification, structure, methods of preparation, physical and chemical properties, uses, identification of primary, secondary and tertiary amines.

Cyanides and Isocyanides - will be mentioned at relevant places in context.

Diazonium salts : Preparation, chemical reactions and importance in synthetic organic chemistry.

Biomolecules

Carbohydrates - Classification (aldoses and ketoses), monosaccharides (glucose and fructose), oligosaccharides (sucrose, lactose, maltose), polysaccharides (starch, cellulose, glycogen); importance.

Proteins - Elementary idea of α - amino acids, peptide bond, polypeptides proteins, primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure (qualitative idea only), denaturation of proteins; enzymes.

Vitamins - Classification and functions.

Nucleic Acids: DNA & RNA.

Polymers

Classification - natural and synthetic, methods of polymerization (addition and condensation), copolymerization. Some important polymers: natural and synthetic like polythene, nylon, polyesters, bakelite, rubber.

Chemistry in Everyday life:

1. Chemicals in medicines - analgesics, tranquilizers, antiseptics, disinfectants, antimicrobials, antifertility drugs, antibiotics, antacids, antihistamines.
 2. Chemicals in food - preservatives, artificial sweetening agents.
 3. Cleansing agents - soaps and detergents, cleansing action.
-

MATHEMATICS

SETS AND FUNCTIONS

1. Sets:

Sets and their representations, Empty set, Finite & Infinite sets. Equal sets, Subsets, Subsets of the set of real number especially intervals (with notations). Power set, Universal set, Venn diagrams, Union and Intersection of sets, Difference of sets, Complement of a set.

2. Relation & Functions:

Ordered pairs, Cartesian product of sets, Number of elements in the Cartesian product of two finite sets. Cartesian product of the reals with itself (upto $R \times R \times R$). Definition of relation, pictorial diagrams, domain, codomain and range of a relation. Function as a special kind of relation from one set to another. Pictorial representation of a function, domain, co-domain & range of a function. Real valued function of the real variable, domain and range of these functions, constant, identity, polynomial, rational, modulus, signum and greatest integer functions with their graphs, Sum, difference, product and quotients of functions.

3. Trigonometric Functions:

positive and negative angles. Measuring angles in radians & in degrees and conversion from one measure to another. Definition of trigonometric functions with the help of unit circle. Truth of the identity $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, for all x . Signs of trigonometric functions and sketch of their graphs. Expressing $\sin(x + y)$ and $\cos(x + y)$ in terms of $\sin x$, $\sin y$, $\cos x$, & $\cos y$.

Identities related to $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\tan 2x$, $\sin 3x$, $\cos 3x$ and $\tan 3x$. General solution of trigonometric equations of the type $\sin ? = \sin a$, $\cos ? = \cos a$ and $\tan ? = \tan a$. Proof and simple application of sine and cosine formula.

ALGEBRA (I)

1. Principle of Mathematical Induction :

Processes of the proof by induction, motivating the application of the method by looking at natural numbers as the least inductive subset of real numbers. The principle of mathematical induction and simple applications.

2. Complex Numbers and Quadratic Equations:

Need for complex numbers, especially $\sqrt{-1}$, to be motivated by inability to solve every quadratic equations. Brief description of algebraic properties of complex numbers. Argand plane and polar representation of complex numbers. Statement of Fundamental Theorem of Algebra, solution of quadratic equations in the complex number system.

3. Linear Inequalities:

Linear inequalities. Algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their representation on the number line. Graphical solution of linear, inequalities in two variables. Solution of system of linear inequalities in two variables - graphically.

4. Permutation & Combination :

Fundamental principle of counting. Factorial n . ($n!$) Permutation and combinations, derivation of formulae and their connections, simple applications.

5. Binomial Theorem:

History, statement and proof of the binomial theorem for positive integral indices. Pascal's triangle, General and middle term in binomial expansion, simple applications.

6. Sequence & Series:

Sequence and Series. Arithmetic progression (A.P.) arithmetic mean (A.M.) Geometric progression (G.P.), general term of a G.P. Sum of n terms of a G.P., geometric mean (G.M.), relation between A.M. and G. M. Sum to n terms of the special series $\sum n$ and $\sum n^2$ and $\sum n^3$.

CO-ORDINATE GEOMETRY (I)

1. Straight Lines :

Brief recall of 2D from earlier classes. Slope of a line and angle between two lines. Various forms of equations of a line : parallel to axes, point-slope form, slope-intercept form, two-point form, intercepts form and normal form. General equation of a line, Distance of a point from a line.

2. Conic Section :

Sections of a cone : circle, ellipse, parabola, hyperbola, a point, a straight line and pair of intersecting lines as a degenerated case of a conic section. Standard equations and simple properties of parabola, ellipse and hyperbola.

Standard equation of a circle.

3. Introduction to Three Dimensional Geometry :

Coordinate axes and coordinate planes in three dimensions, Coordinates of a point. Distance between two points and section formula.

CALCULUS (I)

1. Limits and Derivatives :

Derivative introduced as rate of change both as that of distance function and geometrically, intuitive idea of limit. Definition of derivative, relate it to slope of tangent of the curve, derivative of sum, difference, product and quotient of functions. Derivatives of polynomial and trigonometric functions.

MATHEMATICAL REASONING

1. Mathematical Reasoning

Mathematically acceptable statements. Connecting words / phrases - consolidating the understanding of "if and only if (necessary and sufficient) condition", "implies", "and / or", "implied by", "and", "or", "there exists" and their use through variety of examples related to real life and Mathematics. Validating the statements involving the connecting words - difference between contradiction, converse and contrapositive.

STATISTICS & PROBABILITY (I)

1. Statistics :

Measure of dispersion; mean deviation, variance and standard deviation of ungrouped / grouped data. Analysis of frequency distributions with equal means but different variances.

2. Probability :

Random experiments: outcomes, sample spaces (set representation). Events: occurrence of events, 'not', 'and' 'or' events, exhaustive events, mutually exclusive events Axiomatic (set theoretic) probability, connections with the theories of earlier classes. Probability of an event, probability of 'not' 'and' & 'or' events.

* RELATIONS AND FUNCTIONS.

1. Relations and Functions :

Types of relations : reflexive, symmetric, transitive and equivalence relations, One to one and onto functions, composite functions inverse of a function, Binary operations.

2. Inverse Trigonometric Functions :

Definition, range, domain principal value branches. Graphs of inverse trigonometric functions Elementary properties of inverse trigonometric functions.

ALGEBRA (II)

1. Matrices :

Concept, notation, order, equality types of matrices zero matrix transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices, Addition, multiplication and scalar multiplication of matrices, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication. Non-commutativity of multiplication of matrices and existence of non-zero matrices whose product is the zero matrix (restrict to square matrices of order 2). Concept of elementary row and column operations, Invertible matrices and proof of the uniqueness of inverse, if it exists; (Here all matrices will have real entries).

2. Determinants :

Determinant of a square matrix (up to 3×3 matrices), properties of determinants, minors, cofactors and applications of determinants in finding the area of a triangle. Adjoint and inverse of a square matrix. Consistency, inconsistency and number of solutions of system of linear equations by examples, solving system of linear equations in two or three variables (having unique solution) using inverse of a matrix.

CALCULUS (II)

1. Continuity and Differentiability :

Continuity and differentiability, derivative of composite functions, chain rule, derivatives of inverse trigonometric functions, derivative of implicit function. Concept of exponential and logarithmic functions and their derivatives. Logarithmic differentiation. Derivative of functions expressed in parametric forms. Second order derivatives, Rolle's and Lagrange's Mean Value Theorems (without proof) and their geometric interpretations.

2. Applications of Derivatives :

Applications of derivatives : rate of change, increasing/decreasing functions, tangents & normals, approximation, maxima and minima (first derivative test motivated geometrically and second derivative test given as a provable

tool). Simple problems (that illustrate basic principle and understanding of the subject as well as real-life situations).

3. Integrals :

Integration as inverse process of differentiation. Integration of a variety of functions by substitution by partial fractions and by parts, only simple integrals. Definite integrals as a limit of a sum, Fundamental Theorem of Calculus (without proof). Basic properties of definite integrals and evaluation of definite integrals.

4. Applications of the Integrals :

Applications in finding the area under simple curves, especially lines, areas of circles / parabolas / ellipses (in standard form only), area between the two above said curves (the region should be clearly identifiable).

5. Differential Equations :

Definition, order and degree, general and particular solutions of a differential equation. Formation of differential equation whose general solution is given. Solution of differential equations by method of separation of variables, homogeneous differential equations of first order and first degree. Solutions of linear differential equation of the type:

$$\frac{dy}{dx} + py = q, \text{ where } p \text{ and } q \text{ are functions of } x.$$

VECTORS AND THREE DIMENSIONAL GEOMETRY (II)

1. Vectors :

Vectors and scalars, magnitude and direction of a vector. Direction cosines / ratios of vectors. Types of vectors (equal unit zero parallel and collinear vectors), position vector of a point, negative of a vector, components of a vector, addition of vectors, multiplication of a vector by a scalar, position vector of a point dividing a line segment in a given ratio. Scalar (dot) product of vectors, projection of a vector on a line. Vector (cross) product of vectors.

2. Three - dimensional Geometry :

Direction cosines / ratios of a line joining two points. Cartesian and vector equation of a line, coplanar and skew lines, shortest distance between two lines. Cartesian and vector equation of a plane. Angle between (i) two lines, (ii) two planes, (iii) a line and a plane. Distance of a point from a plane.

LINEAR PROGRAMMING

1. Linear Programming :

Introduction, definition of related terminology such as constraints, objective function, optimization, different types of linear programming (L.P.) problems, mathematical formulation of L.P. problems, graphical method of solution for problems in two variables, feasible and infeasible regions, feasible and infeasible solutions, optimal feasible solutions (up to three non-trivial constraints).

PROBABILITY (II)

1. Probability :

Multiplication theorem on probability. Conditional probability, independent events, total probability, Baye's theorem, Random variable and its probability distribution, mean and variance of haphazard variable. Repeated independent (Bernoulli) trials and Binomial distribution.

BIOLOGY

DIVERSITY IN LIVING WORLD

- Diversity of living organism.
- Classification of the living organisms (five kingdom classification, major groups principles of classification within each kingdom).
- Systematics and binomial system of nomenclature.
- Salient features of animal (non chordates up to phylum level, and chordates up to class level) and plant (major groups; Angiosperms up to subclass) classification.
- Botanical garden, herbaria, zoological parks museums.

STRUCTURAL ORGANISATION IN ANIMALS AND PLANTS

Tissues in animals and plants.

Morphology, anatomy and functions of different parts of flowering plants : Root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit and seed.

Morphology, anatomy and functions of different systems of an annelid (earthworm), an insect (cockroach) and an amphibian (frog.)

CELL : STRUCTURE AND FUNCTION

Cell : Cell wall, cell membrane and cell organelles (plastids, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies/dictyosomes, ribosomes, lysosomes, vacuoles, centrioles) and nuclear organisation.

Mitosis, meiosis, cell cycle.

Basis chemical constituents of living bodies.

Structure and functions of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids.

Enzymes : Types, properties and function.

PLANT PHYSIOLOGY

Movement of water, food, nutrients and gases.

Plants and Water : Mineral nutrition

Respiration

Photosynthesis

Plant growth and development

HUMAN PHYSIOLOGY

Digestion and absorption.

Breathing and respiration

Body fluids and circulation

Excretory products and elimination

Locomotion and movement

Control and coordination

* SEXUAL REPRODUCTION

- Pollination and fertilization in flowering plants.
- Development of seeds and fruits.
- Human reproduction : reproductive system in male and female, menstrual cycle. Production of gametes, fertilization, implantation, embryo development, pregnancy and parturition.
- Reproductive health-birth control, contraception and sexually transmitted diseases.

GENETICS AND EVOLUTION

- Mendelian inheritance.
- Chromosome theory of inheritance, deviations from Mendelian ratio (gene interaction-Incomplete dominance, co-dominance, complementary genes, multiple alleles.)
- Sex determination in human beings: XX, XY.
- Linkage and crossing over.
- Inheritance pattern of haemophilia and blood groups in human beings.

- DNA : replication, transcription, translation.
- Gene expression and regulation.
- Genome and Human Genome Project.
- DNA fingerprinting.

Evolution : Theories and evidences.

BIOLOGY AND HUMAN WELFARE

- Animal husbandry.
- Basic concepts of immunology, vaccines.
- Pathogens, Parasites.
- Plant breeding, tissue culture, food production.
- Microbes in household food processing, industrial production, sewage treatment and energy generation.
- Cancer and AIDS.
- Adolescence and drug/alcohol abuse.

BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLIATIONS

- Recombinant DNA technology.
- Applications in Health, Agriculture and Industry.
- Genetically modified (GM) organism; biosafety issues.
- Insulin and Bt cotton.

ECOLOGY & ENVIRONMENT

Ecosystems: components, types and energy flow.

Species, population and community.

Ecological adaptations.

Centres of diversity and conservation of biodiversity, national parks and sanctuaries.

Environmental issues.

परिशिष्ट-2 (I)

Guidelines for Admission in Degree Courses in Medical Profession against Disabled Quota

In view of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in C.A. No. 6120/2001 dated 18 Sept., 2002 and with reference to the Medical Council of India letter no. 34(1)/2003-MED/11773 the guidelines for the admission of physically handicapped candidates against 3% reserved seats under Disabled Quota in Medical / Dental / Ayurvedic / Tibbi / Homeopathic / Physiotherapy and Para Medical institution of Bihar are as under:

1. (a) Persons with only locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% but otherwise medically fit and having upper limbs fully functional and normal are allowed the benefit of reservation under the disability Act, 1995 for admission against 3% seats of the annual sanctioned intake capacity under Disabled Quota seats to MBBS/ BDS/ PG Medical and other professional medical courses.

Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotors disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotors disability of lower limbs between 40% to 50% before they are included in annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that the entire exercise shall be completed as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the MBBS/BDS course after 30th September.

(b) The eligibility Criteria for admissions to persons with locomotors disability of lower limbs will be minimum of 45% marks instead of 50% taken together in qualifying Examination and Competitive Entrance Examination for admission in MBBS course.

2. The visually handicapped and hearing disabled persons are considered invalid and thus ineligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses against Disabled Quota seats.
3. The candidates having locomotory disability involving upper limbs are not eligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses.
4. For availing the benefits of reservation in Disabled Quota, the locomotory disabled candidates with disabilities involving the lower limbs must fulfil the following criteria/ guidelines :-
 - (a) If the locomotory disability involves only one lower limb, it should not be less than 50% and should not exceed 70%.
 - (b) If the locomotory disability involves both the lower limbs, the total disability should not exceed 70% with a minimum of 50%.
 - (c) The disability certificate should be produced by a duly constituted and authorised medical board by the Government of Bihar.
 - (d) The candidate should have minimum eligibility criteria as per Medical Council of India guidelines and should be otherwise medically fit.
5. The provision of this reservation will be applicable in government as well as non-government aided institutions.
6. The candidates, who are aspiring to get seats under Disabled Quota, should apply expressing their claims for the same along with the valid disability certificate.
7. The candidate, seeking the benefit for reservation under Disabled Quota, should present him/herself before a medical board comprising of atleast one expert / specialist from the speciality of orthopaedics from state medical board in the state of Bihar and obtain a valid disability certificate from the medical board by claiming the benefit of reservation.
8. The disability certificate of the candidate from a medical board shall (i) Give a permanent disability certificate where there are no chances of variation in the degree of disability (ii) Indicate the period of validity in the certificate, in cases where there is any chance of variation in the degree of disability.
9. In case, there are not enough number of Candidates, who qualify themselves for admission against reserved seats under Disabled Quota of any category, the consequent vacant seats should be merged with the seats of respective category.

Note : All above guideline will be subject to latest directions of Medical Council of India issued from time to time.

परिशिष्ट-2 (II)

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक- वि.प्रा.(II) छात्र-05/2005/420 दिनांक 15.02.2010 के अनुसार तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 967 दिनांक 13.05.2010 में वर्णित प्राधिकृत मेडिकल ऑफिसर / बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जाँच करानी होगी जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा ।
2. प्राधिकृत मेडिकल ऑफिसर / बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 966 दिनांक 13.05.2010 के अनुसार 3 % सीट आरक्षण के विरुद्ध, उनकी निःशक्तता के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम (अभियंत्रण धारा) का निर्धारण विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा की जायेगी ।
3. विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन मार्गदर्शन, निदेशों का पालन किया जायेगा ।
4. उपरोक्त परिशिष्ट-2 (II) के लिये विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति से अभिप्रेत है, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति । [भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II खंड-1 अध्याय-1 का 1(टी)]

परिशिष्ट-2 (III)

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार, पूसा (समस्तीपुर) के पत्रांक- 188 दिनांक 30.11.2005 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन संस्थानों में विकलांगता से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

उपरोक्त परिशिष्ट-2(II) में जो प्रावधान है वही प्रावधान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, (समस्तीपुर) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के पाठ्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के नामांकन के सम्बन्ध में अपनाई जायेगी ।

नोट : विकलांगता कोटि एवं उसके लिये अनुमान्य पाठ्यक्रम का निर्धारण कडिका- 5.7.3 के अनुसार होगा ।

परिशिष्ट-२(iv)

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण

बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

बि० प्र० (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में ।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पोलिटेकनिक में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था । साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं० 412, दि० 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था । इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों / आश्रित सहोदर भाइयों / आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों / आश्रित भतीजा तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है ।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निदेश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है । इसके अलावा प्रासंगिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की निर्गत होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पोलिटेकनिक संस्थान के मामले में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था ।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है ।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हैं ।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा । सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी । अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा ।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी ।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट-3

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के लिये जिस OMR उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर अभ्यर्थियों को उत्तर देना है, उसकी जाँच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। OMR उत्तर पत्रक भरने का तरीका तथा सम्बन्धित निर्देश पृष्ठ 40 पर और OMR उत्तर पत्रक का नमूना पृष्ठ 39 पर दिया जा रहा है ;

1. OMR उत्तर पत्रक भरने का तरीका तथा सम्बन्धित निर्देश :

(क) उत्तर पत्रक पार्ट-I को भरने की प्रक्रिया ;

- उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. प्रकार का है जिसे कम्प्यूटर स्कैनर द्वारा पढ़ा जाना है।
- उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के निर्दिष्ट स्थानों पर रौल नम्बर / परीक्षा केन्द्र का कोड / परीक्षा पुस्तिका की संख्या आदि को उत्तर-पत्रक पर कम्प्यूटर-संगत प्रक्रिया से भरें। ऊपर के चौकोर खानों में अंक बाल प्वाइंट कलम की नीली / काली स्याही में भरें और सम्बन्धित गोलों को सिर्फ नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन से भरें। अगर कोई अभ्यर्थी पेंसिल का व्यवहार लिखने या रंगने में करेगा तो उसका उत्तर पत्रक रद्द कर दिया जायेगा।

उदाहरण : यदि रौल नम्बर 179682 है एवं परीक्षा पुस्तिका संख्या 14390 है, तो

1	7	9	6	8	2
●	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	●	⑥	⑥
⑦	●	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	●	⑧
⑨	⑨	●	⑨	⑨	⑨
⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩

1	4	3	9	0
●	①	①	①	①
②	②	②	②	②
③	③	●	③	③
④	●	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	●	⑨
⑩	⑩	⑩	⑩	●

(ख) उत्तर पत्रक पार्ट-II को भरने की प्रक्रिया ;

- प्रश्न बहु-विकल्प प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये विकल्पों उत्तरों में से केवल एक ही सर्वाधिक उपयुक्त है। परीक्षार्थी को प्रश्न संख्या के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के सामने के सम्बन्धित गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन से ही रंगना है, अन्यथा उनके उत्तर पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

उदाहरण : यदि प्रश्न संख्या 7 के लिए विकल्प 'B' सही उत्तर है, तो प्रश्न संख्या 7 के सामने के सम्बन्धित गोले को नीचे दिखाये गये के अनुसार रंगना है :-

Q. No. 1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Q. No. 2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
.....	•	•	•	•
.....	•	•	•	•
Q. No. 7	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

- (i) उपरोक्त क्रम ख-1 में बताये गये अनुसार गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन द्वारा ही रंगना है।
- (ii) गोले को पूर्णरूप से भरा एवं रंगा होना चाहिए।
- (iii) सही उत्तर से सम्बन्धित केवल एक ही गोले को रंगा जाना चाहिए जैसा नीचे दिखाया गया है :

सही : Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

गलत : Ⓐ ● ● Ⓓ या Ⓐ Ⓒ Ⓒ Ⓓ या Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ या Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

गलत : Ⓐ ● ● Ⓓ या Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ या Ⓐ ● ● Ⓓ या Ⓐ ● ● Ⓓ

- (iv) उपयुक्त गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट कलम से रंगने से पहले अभ्यर्थी यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि वे उत्तर के लिए सर्वाधिक सही गोले को रंग रहे हैं क्योंकि गोले को रंगने में कोई परिवर्तन करना वर्जित है। उत्तर पत्रक में रंगे गये गोले को रबर या सफेद द्रव से मिटाने की अनुमति नहीं दी गयी है क्योंकि उत्तर पत्रक को मशीन द्वारा मूल्यांकित किया जाना है और ऐसा करने पर मूल्यांकन में त्रुटि हो जा सकती है।
- (v) यदि एक से अधिक गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट कलम से रंगा जायगा या उत्तर किसी अन्य प्रकार से अथवा ऊपर दिखाये गये गलत तरीकों से व्यक्त किया जायेगा तो उसे गलत करार दिया जायेगा।
3. किसी प्रकार का कच्चा काम उत्तर पत्रक पर नहीं करना है। परीक्षा पुस्तिका में इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है, उसी पर कच्चा काम करें। साथ ही उत्तर पत्रक को न तो काटें, फाड़ें या मोड़ें और न तो उस पर किसी तरह की सिलवट पड़ने दें।
 4. उत्तर पत्रक पर छपे "बार कोड" पर किसी तरह का निशान आदि न बनायें या इसे किसी तरह न विकृत करें और न विकृत होने दें अन्यथा परीक्षार्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
 5. उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के अतिरिक्त उस पर किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह या निशान न बनायें या न छोड़ें अन्यथा यह उम्मीदवारी के लिए अयोग्यता करार दी जा सकती है।
 6. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के पृष्ठ के पीछे अंकित गद्यांश को निदेशानुसार अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करें। हस्तलिपि जाँच के लिए यह अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपके उत्तर पत्रक / उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।
 7. उत्तर पत्रक की जाँच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से की जायेगी। गलत तरीके से गोलों को रंगने के कारण उत्तर को गलत मान लेने का पूरा उत्तर दायित्व परीक्षार्थी का होगा।
 8. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, लॉगबुक, स्लाइड रूल या किसी प्रकार के संचार उपकरणों तथा मोबाइल फोन, पेजर आदि का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है।
 9. अगर आपने ओ.एम.आर. के उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया तो आपका उत्तर पत्रक रद्द किया जा सकता है जिसके लिए आप स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. OMR उत्तर पत्रक का नमूना :

यह प्रथम चरण की परीक्षा के लिये उत्तर पत्रक का मार्गदर्शक नमूना मात्र है। वास्तविक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या एवं अन्य निर्देश/विवरण भिन्न हो सकते हैं।

PART - 1

NAME OF THE CANDIDATE

CENTRE CODE

BOOKLET NO.

RCI NUMBER

Full Signature of the Candidate

"Certified that the above entries are checked and found correct."

Signature of Invigilator 1

Signature of Invigilator 2

हस्ताक्षर सम्बन्धी निर्देश

पीछे पृष्ठ पर अंकित गद्यांश को निर्देशानुसार अपनी हस्ताक्षरि में पूर्ण रूप से लिख कर हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है अन्यथा आपके उत्तर पत्रक / उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।

PART - 2

NOTE: Please do read the instructions given overleaf very carefully before filling the OMR Answer Sheet.

OMR उत्तर पत्रक को भरने के पहले पिछे पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक वाच्य रखें।

	PHYSICS	CHEMISTRY	MATHEMATICS	BIOLOGY			
1	A B C D	51	A B C D	101	A B C D	151	A B C D
2	A B C D	52	A B C D	102	A B C D	152	A B C D
3	A B C D	53	A B C D	103	A B C D	153	A B C D
4	A B C D	54	A B C D	104	A B C D	154	A B C D
5	A B C D	55	A B C D	105	A B C D	155	A B C D
6	A B C D	56	A B C D	106	A B C D	156	A B C D
7	A B C D	57	A B C D	107	A B C D	157	A B C D
8	A B C D	58	A B C D	108	A B C D	158	A B C D
9	A B C D	59	A B C D	109	A B C D	159	A B C D
10	A B C D	60	A B C D	110	A B C D	160	A B C D
11	A B C D	61	A B C D	111	A B C D	161	A B C D
12	A B C D	62	A B C D	112	A B C D	162	A B C D
13	A B C D	63	A B C D	113	A B C D	163	A B C D
14	A B C D	64	A B C D	114	A B C D	164	A B C D
15	A B C D	65	A B C D	115	A B C D	165	A B C D
16	A B C D	66	A B C D	116	A B C D	166	A B C D
17	A B C D	67	A B C D	117	A B C D	167	A B C D
18	A B C D	68	A B C D	118	A B C D	168	A B C D
19	A B C D	69	A B C D	119	A B C D	169	A B C D
20	A B C D	70	A B C D	120	A B C D	170	A B C D
21	A B C D	71	A B C D	121	A B C D	171	A B C D
22	A B C D	72	A B C D	122	A B C D	172	A B C D
23	A B C D	73	A B C D	123	A B C D	173	A B C D
24	A B C D	74	A B C D	124	A B C D	174	A B C D
25	A B C D	75	A B C D	125	A B C D	175	A B C D
26	A B C D	76	A B C D	126	A B C D	176	A B C D
27	A B C D	77	A B C D	127	A B C D	177	A B C D
28	A B C D	78	A B C D	128	A B C D	178	A B C D
29	A B C D	79	A B C D	129	A B C D	179	A B C D
30	A B C D	80	A B C D	130	A B C D	180	A B C D
31	A B C D	81	A B C D	131	A B C D	181	A B C D
32	A B C D	82	A B C D	132	A B C D	182	A B C D
33	A B C D	83	A B C D	133	A B C D	183	A B C D
34	A B C D	84	A B C D	134	A B C D	184	A B C D
35	A B C D	85	A B C D	135	A B C D	185	A B C D
36	A B C D	86	A B C D	136	A B C D	186	A B C D
37	A B C D	87	A B C D	137	A B C D	187	A B C D
38	A B C D	88	A B C D	138	A B C D	188	A B C D
39	A B C D	89	A B C D	139	A B C D	189	A B C D
40	A B C D	90	A B C D	140	A B C D	190	A B C D
41	A B C D	91	A B C D	141	A B C D	191	A B C D
42	A B C D	92	A B C D	142	A B C D	192	A B C D
43	A B C D	93	A B C D	143	A B C D	193	A B C D
44	A B C D	94	A B C D	144	A B C D	194	A B C D
45	A B C D	95	A B C D	145	A B C D	195	A B C D
46	A B C D	96	A B C D	146	A B C D	196	A B C D
47	A B C D	97	A B C D	147	A B C D	197	A B C D
48	A B C D	98	A B C D	148	A B C D	198	A B C D
49	A B C D	99	A B C D	149	A B C D	199	A B C D
50	A B C D	100	A B C D	150	A B C D	200	A B C D

परिशिष्ट-4

Schedule Programme for admissions to Engineering courses as notified by All India Council for Technical Education, New Delhi vide Advt. no.Legal/12(06)/2012

Sl.	Event / Programme	Schedule
1.	Conduct of Entrance Examination (AIEEE/ State CET/Mgt. quota exams etc.)	In the month of May
2.	Declaration of Results of Qualifying Examination (12th Exam or similar) and Entrance Examination	On or before 5th June
3.	1st round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 30th June
4.	2nd round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 10th July
5.	Last round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 20th July
6.	Last date for admitting candidates in seats other than allotted above	30 July. However, any number of rounds for counselling could be conducted depending on local requirements, but all the rounds shall be completed before 30th July
7.	Commencement of academic session	1st August
8.	Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason (no student should be admitted in any Institution after the last date under any quota)	15th August

परिशिष्ट-5

माडल प्रपत्र : फार्म-C.1

(निवास / आवासीय प्रमाण-पत्र)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

माडल प्रपत्र : फार्म-C.2
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)

कार्यालय का नाम

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पुत्री गांव / शहर

पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल

जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं,

जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र/पुत्री

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना

अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र : फार्म-C.2
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)

कार्यालय का नाम

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति / श्री ग्राम / नगर

प्रखण्ड पोस्ट थाना

अनुमण्डल जिला राज्य

समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के

अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस

थाना अनुमण्डल जिला

राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र : फार्म-C.3
(आय प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री
पिता / पति ग्राम / नगर
पोस्ट थाना प्रखण्ड
अनुमण्डल..... जिला राज्य एवं उनके परिवार की
कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय -
व्यवसाय से आय -
कृषि से आय -
अन्य स्रोतों से आय -
कुल आय (वार्षिक) -

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)
बिहार राज्य

स्थान

दिनांक

Format for Address on Envelope : **Form : C.4**

APPLICATION FOR B.C.E.C.E.-2015

Registration No. :
Course Group :

To,

**The Controller of Examination,
B.C.E.C.E.Board,
I.A.S. Bhawan, Near Patna Airport,
P.O.-B.V.College,
Patna-800014 (Bihar)**

From :

.....
.....
.....
.....

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2015

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम :

- बिहार राज्य के संस्थानों में इंजीनियरिंग / फार्मसी / समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बिहार कोटा की सीटों के लिये) ।
- बिहार राज्य के बाहर अन्य तकनीकी / व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रम (बिहार कोटा की सीटों के लिये)
- बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों / दन्त महाविद्यालयों / फिजियोथिरेपी, ओकुपेशनल थिरेपी महाविद्यालय / राजकीय आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।
- बिहार राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि / उद्यान / पशु चिकित्सा / मत्स्य विज्ञान / गव्य तकनीकी (डेयरी टेक०)/ कृषि अभियंत्रण तथा समान प्रकृति के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।

आवश्यक

1. Online भरे हुए आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) की Downloaded hard copy के साथ Paid बैंक चालान एवं निर्दिष्ट अनुलग्नकों को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजना आवश्यक है ।
2. रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर "APPLICATION FOR BCECE-2015", कोर्स ग्रुप एवं निबन्धन संख्या अवश्य लिखें ।
3. (क) Registered अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form को
अंतिम रूप से भरने की अंतिम तिथि : **04.03.2015 (5.00 P.M.)**
- (ख) सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ आवेदन प्रपत्रों की Hard
Copy रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से प्राप्ति की अन्तिम तिथि : **10.03.2015**
4. परीक्षा की तिथि : 1. प्रथम चरण **19.04.2015**
2. द्वितीय चरण **17.05.2015**
5. आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क : देखें विवरण पुस्तिका की कॉडिका-7 ।
6. बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय का फोन नं. : **0612-2220230**

Website: (i) www.bceceboard.com (ii) www.bceceonline.com